खण्ड-467, अंक-2
मंगलवार, 23 माघ, शक संवत् 1929
(12 फरवरी, 2008 ई0)

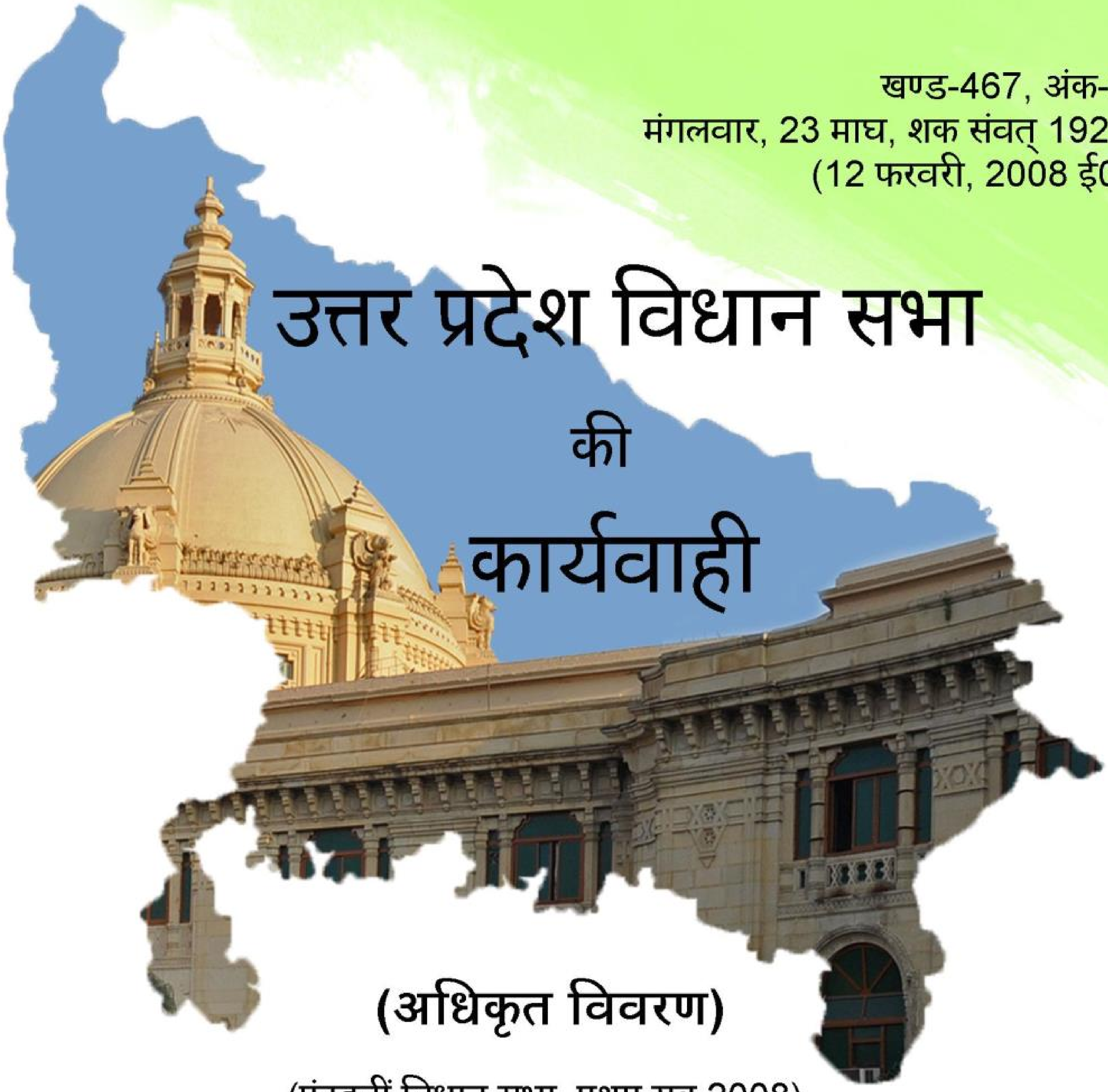

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 467 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2008

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | क-च |
| बजट प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति तथा प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था की समस्या को सुने जाने की मांग ..... (जारी) ... ... | 1 |
| वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के साहित्य वितरण की व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था की सूचना ... ... ... | 1 |
| बजट प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति तथा प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था की समस्या को सुने जाने की मांग ..... (जारी) ... ... | 2-3 |
| वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ..... (जारी) ... | 3 |
| बजट प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति तथा प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था की समस्या को सुने जाने की मांग ... ... ... | 3-4 |
| वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ... (जारी) ... | 4-6 |
| बजट प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति तथा प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था की समस्या को सुने जाने की मांग ... ... ... | 7 |
| वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ... (प्रस्तुत किया गया) ... ... ... | 7-32 |
| वित्तीय वर्ष 2008-2009 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ..... (प्रस्तुत किया गया) ... ... ... | 32 |
| जनपद महामायानगर (हाथरस) के राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर एतमादपुर से मथुरा वाया रुदौली-मई, नयाबाग, बल्देव मार्ग का आगरा महानगर के उत्तरी बाईपास के रूप में विकसित कराये जाने विषयक श्री गिरधारी लाल गोयल आदि की हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी।) | 32 |
| जनपद महामायानगर (हाथरस) के कस्बा सादाबाद में विज्ञान, कला व वाणिज्य संकाय युक्त राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराये जाने विषयक डा0 कालीचरन सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी।) | 32 |
| नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... ... | 33 |
| मेरठ जनपद के विक्टोरिया पार्क में कंज्यूमर मेले में लगी आग से गम्भीर रूप से घायलों के इलाज पर प्राइवेट अस्पताल में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति करने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 33-34 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद बागपत के मुख्य क्षतिग्रस्त मार्ग बड़ौत अमीननगर सराय का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराते हुये हाट मिक्स प्लान्ट से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ... ... | 34 |
| जनपद महामाया नगर (हाथरस) की तहसील सादाबाद में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति एवं कतिपय अन्य क्षेत्र में 33/11 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 34-35 |
| शाहजहांपुर के ग्राम नुसरतपुर बांडी का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी कोटा पड़ोस के ग्राम की दुकान से सम्बद्ध होने से ग्रामवासियों को हो रही परेशानी का निदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 35 |
| औचित्य के प्रश्न की सूचनायें ... ... ... | 35-36 |
| दिनांक 4-12-2007 को नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर नियमानुसार एक माह के अन्दर न दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न | 36-37 |
| नगरीय विधान सभाओं के लिये 225 हैण्डपम्प मा0 विधायकों की संस्तुति पर लगाने की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के बावजूद धनराशि जारी न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ... ... | 37 |
| उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 में मा0 सदस्यों को प्राप्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ... ... | 38-41 |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ..... (जारी) ... | 42-49 |
| वित्तीय वर्ष 2008-2009 के माह अप्रैल व मई, 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय हेतु लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ... | 49 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 ..... (पारित) ... | 50-58 |
| नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... ... | 58-59 |
| वर्ष 1962 में जनपद आजमगढ़ में शारदा नहर के लिये अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा अभी तक न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 59-60 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज में ए0 पी0 तटबन्ध के किनारे बाढ़ की कटान से प्रभावित लोगों को कहीं अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 60-61 |
| जनपद गाजीपुर स्थित शारदा सहायक चतुर्थ खण्ड-23 एवं लालगंज रजबाहा माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री अमेरिका प्रधान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य | 61-62 |
| जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के मध्य सरयू नहर खण्ड-2,3,4,5 एवं सरयू ड्रेनेज नहर खण्ड-1 व 2 में कराये गये सफाई के कार्यों की जांच कराने एवं टेलों तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 62-64 |
| जनपद आजमगढ़ की नहरों में पानी न उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 64-65 |
| मथुरा वृन्दावन के नगरपालिकाओं एवं गोवर्धन नगर पंचायत द्वारा आने वाले पर्यटकों से प्रवेश कर हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य | 65-66 |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

**उपस्थित सदस्य-337**

अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अजय तोमर, डा0 — बागपत
अजय सिंह, श्री — जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार लहिरवार, श्री — महोबा
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री — वाराणसी
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
अरशद खान, श्री — पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
आर0 के0 उस्मानी, श्री — लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित — बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
आसिफ, श्री — हरदोई
इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री — सहारनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इरफान सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री — उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री — वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
उस्मानुल हक, श्री — मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री — सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री — कानपुर देहात
काजिम अली उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
कादिर राणा, श्री — मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
काशीराम, श्री — रामपुर
कुवेर सिंह, श्री — एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री — फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री — बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री — लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0 — जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री — बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री — बागपत
कौशल किशोर, डा0 — लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत — बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री — मुरादाबाद
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री — इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री — बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री — हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
घूराराम, श्री — बलिया
चन्द्रदेव, श्री — आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री — सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री — मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री — सिद्धार्थनगर
छोटे सिंह, श्री — जालौन
जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
जगपाल, श्री — सहारनपुर
जमीरउल्ला, श्री — अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री — गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री — कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री — जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री — चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री — बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री — फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री — आगरा
जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 — वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री — फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री — श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
दयाराम, श्री — कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री — हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री — चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| दीनानाथ पाण्डेय, श्री | वाराणसी |
| दीपक कुमार, श्री | उन्नाव |
| दुर्गा प्रसाद यादव, श्री | आजमगढ़ |
| दूधराम, श्री | बस्ती |
| धनंजय सिंह, श्री | जौनपुर |
| धनीराम वर्मा, श्री | औरैया |
| धर्मपाल, श्री | गाजियाबाद |
| धर्मपाल सिंह, डा0 | आगरा |
| धर्मराज निषाद, श्री | अम्बेडकरनगर |
| धर्म सिंह सैनी, डा0 | सहारनपुर |
| धर्मी रावत, श्रीमती | बाराबंकी |
| धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री | बरेली |
| धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | बलरामपुर |
| धू राम लोधी चौधरी, श्री | हमीरपुर |
| नकुल दुबे, श्री | लखनऊ |
| नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री | इलाहाबाद |
| नन्दिता शुक्ला, श्रीमती | गोण्डा |
| नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री | हरदोई |
| नसीरुद्दीन, श्री | फिरोजाबाद |
| नाथू राम कुशवाहा | |
| 'इंजीनियर', श्री | ललितपुर |
| नारायण सिंह, श्री | आगरा |
| निर्मल वर्मा, श्री | सीतापुर |
| नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री | शाहजहाँपुर |
| पशुपति, श्री | गाजीपुर |
| पी0 के0 राय, डा0 | कुशीनगर |
| पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री | बाँदा |
| पूजा पाल, श्रीमती | इलाहाबाद |
| पूरन प्रकाश, श्री | मथुरा |
| प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती | कानपुर देहात |
| प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री | झाँसी |
| प्रदीप माथुर, श्री | मथुरा |
| प्रमोद तिवारी, श्री | प्रतापगढ़ |
| प्रमोद सिंह, श्री | देवरिया |
| प्रवीण पटेल, श्री | इलाहाबाद |
| प्रेमलता कटियार, श्रीमती | कानपुर नगर |
| फतेह बहादुर, श्री | महराजगंज |
| फरहत हसन, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| फरीद महफूज किदवई, श्री | बाराबंकी |
| फागू, श्री | मऊ |
| बजरंग बहादुर सिंह, श्री | महराजगंज |
| बलबीर, श्री | मुजफ्फरनगर |
| बादशाह सिंह, श्री | हमीरपुर |
| बिरजू राम, श्री | जौनपुर |
| बृजेश सौरभ, श्री | प्रतापगढ़ |
| बैजनाथ दूबे, श्री | गोण्डा |
| ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री | देवरिया |
| भगवती प्रसाद सागर, श्री | झाँसी |
| भगवान दास, श्री | सन्तकबीरनगर |
| भगवान सिंह कुशवाहा, श्री | आगरा |
| भगेलू राम, श्री | सुल्तानपुर |
| भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री | इटावा |
| भोला, श्री | आजमगढ़ |
| मंजू, श्रीमती | बलिया |
| मदन भैया, श्री | बागपत |
| मधुसूदन शर्मा, श्री | आगरा |
| मनोज चौधरी, श्री | सहारनपुर |
| मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री | रायबरेली |
| महबूब अली, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| महिपाल सिंह, श्री | सहारनपुर |
| महेन्द्र सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| महेश चन्द्र, श्री | कानपुर देहात |
| महेश चन्द्र गुप्ता, श्री | बदायूं |
| माता प्रसाद पाण्डेय, श्री | सिद्धार्थनगर |
| माधव पासवान, श्री | गोरखपुर |
| मिथिलेश कुमार, श्री | शाहजहाँपुर |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| मिथलेश कटियार, श्रीमती | कानपुर देहात |
| मीता गौतम, कु0 | बाराबंकी |
| मुख्तार अंसारी, श्री | मऊ |
| मुरलीधर, श्री | फतेहपुर |
| मुलायम सिंह यादव, श्री | इटावा |
| मुस्लिम खाँ, श्री | बदायूँ |
| मोहम्मद इकबाल, श्री | बिजनौर |
| मोहम्मद इरशाद खान, श्री | लखनऊ |
| मोहम्मद गाजी, श्री | बिजनौर |
| मोहम्मद जलील खान, श्री | गोण्डा |
| मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री | सीतापुर |
| मोहम्मद ताबीश खां, श्री | सन्तकबीरनगर |
| मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री | इलाहाबाद |
| यशपाल सिंह, श्री | बिजनौर |
| यशपाल सिंह चौहान, श्री | अलीगढ़ |
| यशवन्त सिंह, डा0 | मुजफ्फरनगर |
| यसपाल सिंह रावत, श्री | गोरखपुर |
| याकूब हाजी, श्री | मेरठ |
| योगराज सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| योगेन्द्र सागर, श्री | बदायूँ |
| रंगनाथ मिश्र, श्री | सन्त रविदासनगर (भदोही) |
| रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0 | कानपुर देहात |
| रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया" कुंवर, श्री | प्रतापगढ़ |
| रतनलाल अहिरवार, श्री | झाँसी |
| रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री | कुशीनगर |
| रमेश गौतम, श्री | गोण्डा |
| रमेश चन्द्र विन्द, डा0 | मिर्जापुर |
| रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री | जौनपुर |
| रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री | सहारनपुर |
| राकेशधर त्रिपाठी, डा0 | इलाहाबाद |
| राकेश बाबू, श्री | फिरोजाबाद |
| राज किशोर सिंह, श्री | बस्ती |
| राजकुमार सिंह गौतम, डा0 | गाजीपुर |
| राजकुमार रावत, श्री | मथुरा |
| राजपाल त्यागी, श्री | गाजियाबाद |
| राजपाल सिंह, श्री | गाजियाबाद |
| राजबली जैसल, श्री | इलाहाबाद |
| राजाराम त्यागी, श्री | रायबरेली |
| राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राजीव चन्ना, श्री | मुरादाबाद |
| राजेन्द्र कुमार, श्री | मऊ |
| राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राजेन्द्र सिंह, डा0 | आगरा |
| राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री | गोरखपुर |
| राजेश अग्रवाल, श्री | बरेली |
| राजेश कुमार, श्री | लखीमपुर खीरी |
| राजेश त्रिपाठी, श्री | गोरखपुर |
| राजेश यादव, श्री | शाहजहाँपुर |
| राजेश्वरी, श्रीमती | हरदोई |
| राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 | गोरखपुर |
| राधे लाल रावत, श्री | उन्नाव |
| राधे श्याम गुप्ता, श्री | फतेहपुर |
| राम अचल राजभर, श्री | अम्बेडकर नगर |
| राम किशुन, श्री | चन्दौली |
| राम कुमार तिवारी, पण्डित | ललितपुर |
| रामपाल वर्मा, श्री | हरदोई |
| राम प्रकाश कुशवाहा, श्री | कानपुर नगर |
| राम प्रकाश यादव, श्री | फिरोजाबाद |
| राम प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राम प्रसाद जायसवाल, श्री | देवरिया |
| राम बिशुन आजाद, श्री | गोण्डा |
| रामवीर उपाध्याय, श्री | हाथरस |
| राम शिरोमणि शुक्ल, श्री | प्रतापगढ़ |
| राम सागर अकेला, श्री | श्रावस्ती |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| राम सिंह, डा0 | अलीगढ़ |
| रामसेवक, श्री | सुल्तानपुर |
| राम सेवक सिंह पटेल, श्री | बदायूँ |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | कानपुर देहात |
| रामहेत भारती, श्री | सीतापुर |
| रिजवान अहमद खाँ, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत |
| रोशन लाल वर्मा, श्री | शाहजहाँपुर |
| लक्ष्मी नारायण, श्री | मथुरा |
| लखीराम नागर, श्री | मेरठ |
| लल्लू सिंह, श्री | फैजाबाद |
| लालजी यादव, श्री | सिद्धार्थनगर |
| लालजी वर्मा, श्री | अम्बेडकरनगर |
| वाचस्पति, श्री | कौशाम्बी |
| वारिस अली, श्री | बहराइच |
| वासुदेव सिंह "बब्बा", श्री | बुलन्दशहर |
| विजय कुमार, श्री | गाजीपुर |
| विजय कुमार उर्फ | |
| विजय यादव, श्री | मुरादाबाद |
| विजय पाल सिंह, श्री | बरेली |
| विजय बहादुर यादव, श्री | गोरखपुर |
| विद्या चौधरी, श्रीमती | आजमगढ़ |
| विद्यासागर गुप्त, श्री | लखनऊ |
| विनोद कुमार, श्री | प्रतापगढ़ |
| विनोद सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| विनोद चतुर्वेदी, श्री | जालौन |
| विवेक कुमार सिंह, श्री | बांदा |
| विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री | बांदा |
| विशम्भर सिंह यादव, श्री | बांदा |
| विश्वनाथ, श्री | कुशीनगर |
| वीरेन्द्र कुमार, श्री | हरदोई |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | बरेली |
| वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री | बुलन्दशहर |
| शम्भू चौधरी, श्री | कुशीनगर |
| शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री | बरेली |
| शारदा प्रसाद, श्री | चन्दौली |

| | |
|---|---|
| शहनवाज, श्री | बिजनौर |
| शाहिद मंजूर, श्री | मेरठ |
| शिव गणेश लोधी, श्री | रायबरेली |
| शिवबालक पासी, श्री | रायबरेली |
| शिवशंकर, श्री | बलिया |
| शीशराम , श्री | बिजनौर |
| शेखर तिवारी, श्री | औरैया |
| शेरबहादुर, श्री | अम्बेडकरनगर |
| शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री | जौनपुर |
| श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा) | वाराणसी |
| श्याम नरायण यादव, श्री | आजमगढ़ |
| श्याम सुन्दर शर्मा, श्री | मथुरा |
| श्रीभगवान पाठक, श्री | बलिया |
| श्रीभगवान शर्मा, श्री | बुलन्दशहर |
| संग्राम सिंह, श्री | बाराबंकी |
| संजय कुमार त्रिपाठी, श्री | प्रतापगढ़ |
| संजय कपूर, श्री | रामपुर |
| संजीव दरियाबादी, श्री | कानपुर नगर |
| संध्या, कुमारी | मैनपुरी |
| सतीश महाना, श्री | कानपुर नगर |
| सत्य नारायण जैसल, श्री | सोनभद्र |
| सत्यपाल सिंह, चौ0 | अलीगढ़ |
| सत्य प्रकाश अग्रवाल | |
| (कैलाश डेरी वाले), श्री | मेरठ |
| सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री | गौतमबुद्धनगर |
| सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 | बागपत |
| सदल प्रसाद, श्री | गोरखपुर |
| सनातन पाण्डेय, श्री | बलिया |
| सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री | आजमगढ़ |
| सलिल विश्नोई, श्री | कानपुर नगर |
| सिनोद कुमार शाक्य, श्री | बदायूं |
| सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री | गाजीपुर |
| सी0एम0 प्रसाद, श्री | सोनभद्र |
| सीमा द्विवेदी, श्रीमती | जौनपुर |
| सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री | फतेहपुर |
| सुखदेव राजभर, श्री | आजमगढ़ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| सुखलाल, श्री | पीलीभीत |
| सुधीर कुमार, श्री | उन्नाव |
| सुनील शर्मा, श्री | गाजियाबाद |
| सुन्दर लाल लोधी, श्री | उन्नाव |
| सुन्दर सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| सुभाष, श्री | बलिया |
| सुभाष पाण्डेय, श्री | जौनपुर |
| सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री | आजमगढ़ |
| सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री | वाराणसी |
| सुरेश तिवारी, श्री | देवरिया |
| सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर |
| सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री | लखनऊ |
| सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री | लखनऊ |
| सुरेश्वर सिंह, श्री | बहराइच |
| सुल्तान बेग, श्री | बरेली |
| सूरजपाल ठाकुर, श्री | आगरा |
| सूरज सिंह शाक्य, श्री | एटा |
| सूर्यभान, श्री | मिर्जापुर |
| सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती | गाजीपुर |
| सोबरन सिंह, श्री | मैनपुरी |
| हरगोविन्द भार्गव, डा0 | सीतापुर |
| हरिओम, श्री | जालौन |
| हुकुम सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |

**नोट**–लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**बजट प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति तथा प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था की समस्या को सुने जाने की मांग**

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट तो पेश हो ही जाएगा। हम 2-3 बातें कहना चाहते हैं। एक बात तो यह है कि आज हम लोग यह महसूस करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, आप तो बैठे ही हुए हैं। हमें आपसे भी शिकायत है।

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना तो दे दें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना तो आप दे ही देंगे। वह तो हम जानते ही हैं। लेकिन हम एक सवाल उठाना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है और महामहिम राज्यपाल का जो सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण आया है वह [xxx] का पुलिंदा है। क्या आज कानून व्यवस्था ठीक है ? गोली मारेंगे, छात्रों पर गोली चलाएंगे क्या ? और यह भी कहना चाहता हूं।

(समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये और उनके एक साथ बोलने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

**वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के साहित्य वितरण सम्बन्धी व्यवस्था की सूचना**

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आय-व्ययक वितरण के सम्बन्ध में सूचना-अब कुछ क्षणों बाद वित्तीय वर्ष 2008-2009 का आय-व्ययक प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गई व्यवस्था इस प्रकार है। ''हां'' सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा बिजनौर, ज्योतिबाफूलेनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण और ''नहीं'' सभाकक्ष में शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

---

नोटः-[ xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**बजट प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति तथा प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था की समस्या को सुने जाने की मांग (क्रमागत)**

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

सरकार द्वारा वर्ष 2007-2008 के बजट में प्राविधानित धनराशि का आधा भी भाग का अनेक विभागों द्वारा खर्च नहीं किया जा सका और जो खर्च हुआ उसमें हर स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार और लूट रही जिसके कारण जनता के धन का दुरुपयोग हुआ। बजट में जो कायदे किये गये थे उसमें से अनेक पूरे नहीं हुए और कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुए। गन्ना किसानों का शत-प्रतिशत भुगतान का वायदा किया गया था, जो आज भी पूरा नहीं हुआ। प्रदेश में मनमाने ढंग से वैट लगाकर व्यापारियों का उत्पीड़न ही नहीं हो रहा है बल्कि जनता के जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनमें भी मंहगाई बहुत बढ़ी है। बुन्देलखण्ड में कर्ज और भूख से आत्म हत्यायें और मृत्यु जारी है परन्तु कर्ज माफ करने और मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने, पशुओं के लिए मुफ्त चारे की व्यवस्था करने की युद्ध स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ। शासन प्रदेश में सभी जनपदों में पेयजल आपूर्ति एवं सड़क निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं के संदर्भ में भी दलीय पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है।

ताज एक्सप्रेस और अन्य के नाम पर किसानों की जमीन नोएडा और आगरा में सस्ते दाम पर लेकर एक फर्म विशेष को मनमाना मुनाफा कमाने के लिए देने हेतु किसानों के साथ जोर-जबरदस्ती और उत्पीड़न हो रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे योजना को लागू करके समाज की आस्था और संस्कृत के केन्द्र गंगा नदी को प्रदूषित करने और आस्थाहीन करने का कुचक्र चलाया जा रहा है साथ ही प्रदेश में खाद्यान्न संकट पैदा होने और किसानों का उपजाऊ जमीन लेकर उन्हें भूमिहीन बनाने की योजना है। परिवहन निगम के बस अड्डों और बस मार्गों का निजीकरण करने का षडयंत्र किया जा रहा है। बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा जगह-जगह उत्पीड़न और धन वसूली का कार्य हो रहा है। सरकार बार-बार मांग करने के बाद भी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है और इस बजट का भी हश्र पिछले बजट जैसे ही होने वाला है। इसलिये भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरकार के इन कृत्यों और अभी तक जनता के समस्याओं के समाधान में असफल रहने के विरोध में सदन का त्याग करती है।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इतनी बड़ी संवैधानिक कठिनाई नहीं है कि आप नेता प्रतिपक्ष को न सुन सकें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस कुर्सी पर हमेशा गरिमा बनायी जाती है।

(घोर व्यवधान जारी रहा)

**वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण**

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2008-2009 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रस्तुत बजट के साथ संविधान के अनुच्छेद 206 के अन्तर्गत वर्तमान सेवाओं और योजनाओं पर व्यय के लिए दो मास का लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे सदन को पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात् बजट पारित करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सकेगा। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2007-2008 का बजट प्रस्तुत करते समय.....

(व्यवधान के मध्य बजट भाषण जारी)

श्री अध्यक्ष-

बजट भाषण की प्रतियां बांट दें। (प्रतियां वितरित की गयीं।)

**बजट प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति तथा प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था की समस्या को सुने जाने की मांग (क्रमागत)**

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी, बजट भाषण होने दें। आप कहें, मैं आपकी बात को निश्चित तौर पर सुनूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बजट भाषण की औपचारिकता पूरी हो गयी है, अब आप उनको रोक सकते है। अब आप नेता प्रतिपक्ष को सुन सकते हैं। मान्यवर, उन्होंने बजट प्रस्तुत कर दिया है। अब आप नेता प्रतिपक्ष को सुन लें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुत हो गया है और उसके बाद भी आप विपक्ष के नेता को नहीं सुनना चाहते हैं। आप सदन को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलाना चाहते हैं। क्यों गोली मारी गयी छात्रों को ?

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी, आपको बाद में सुनेंगे।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य नारेबाजी करने लगे कि छात्र विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, हम नेता प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान करते हैं।

**वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण (क्रमागत)**

श्री लालजी वर्मा-

माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्तमान सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि हमारी सरकार का लक्ष्य ''सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय'' के सिद्धान्त पर चलकर ''समतामूलक-समाज-व्यवस्था'' स्थापित करना है। उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि प्रदेश के पिछड़ेपन के कुचक्र को तोड़कर प्रदेश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास, शहरी विकास, रोजगार तथा भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना का विकास सरकार की प्राथमिकता है।

हमारी सरकार का मानना है कि समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना साम्यवादी, समाजवादी या पूंजीवादी या किसी भी तरह की एकांगी दृष्टिकोण रखने वाली अर्थव्यवस्था के जरिये नहीं किया जा सकता है।

इसलिए हमारी सरकार ने प्रदेश में एक नई मध्यम मार्गीय अर्थनीति लागू करने का निर्णय लिया है जिसका दृष्टिकोण किसी विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध होने के स्थान पर व्यवहारिक एवं यथार्थवादी है। ''पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप'' हमारी इस नई आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि सरकार के सीमित साधनों के कारण विकास में निजी क्षेत्र की पूंजी और कार्यकौशल का लाभ उठाना जरूरी हो गया है।

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जिन सरकारी क्षेत्रों एवं उद्यमों में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकास किया जायेगा, उनमें राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण आगे भी जारी रखा जायेगा और उनमें कार्यरत कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी। पूरे देश में पहली बार यह व्यवस्था की गई है जिसके सकारात्मक एवं दूरगामी परिणाम होंगे।

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, अवस्थापना/सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं, विनिवेशित इकाइयों इत्यादि में सरकार द्वारा कोई राज्य सहायता दिये जाने पर निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से होने वाले करारनामे में यह प्रावधान किया जायेगा कि उक्त परियोजनाओं में सृजित कुल रोजगार में से राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत आरक्षण दिया जायेगा जिससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

मान्यवर, आप अवगत हैं कि देश के सभी राज्यों में मूल्य संवर्धित कर प्रणाली (वैट) वर्ष 2006-2007 तक लागू हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां वैट लागू नहीं किया गया था। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से पिछली सरकार प्रदेश में वैट लागू करने से कतराती रही। विश्व स्तर पर यह एक स्थापित मान्यता है कि वैट एक पारदर्शी कर प्रणाली है जिसमें कर अपवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। अतः प्रदेश में 01 जनवरी, 2008 से वैट लागू कर दिया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश भी आर्थिक मुख्य धारा में शामिल हो गया है तथा इस कर का नाम अब वाणिज्य कर हो गया है। इस नई व्यवस्था से प्रदेश के उपभोक्ता, किसान, व्यापारी एवं उद्योगों को लाभ होगा।

सरकार ने निर्माण कार्यों में अराजकतत्वों एवं माफ़िया के दखल को समाप्त करने तथा टेण्डर की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से "इलेक्ट्रॉनिक टेण्डर प्रणाली" लागू की गई है जिससे अब टेण्डर एवं ठेकेदारी प्रक्रिया में माफियाराज समाप्त होगा और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी भयमुक्त होकर टेण्डर के लिए आवेदन कर सकेगा। साथ ही, टेण्डर में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा सुनिश्चित होने के परिणामस्वरूप न्यूनतम दरों पर काम कराना संभव होगा और सरकारी धन की बचत होगी।

**सामान्य आर्थिक परिवेश**

वर्तमान में देश की प्रति व्यक्ति आय तथा प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय का अन्तर लगभग 52 प्रतिशत है। इस अन्तर को कम करने हेतु आगामी 10 वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दो गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है जिसमें कृषि क्षेत्र में विकास दर 5.7 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र में 11.5 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 12.4 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य है।

विकास दर में अपेक्षित वृद्धि के लिए पूंजी निर्माण एवं अवस्थापना का विकास सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगभग 8.11 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी जिसमें से 5.75 लाख करोड़ रुपये निजी क्षेत्र से तथा 2.36 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र से जुटाये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में बिजली की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगभग पैंसठ हजार करोड़ रुपये (65,000 करोड़ रुपये) के निवेश से साढ़े दस हजार मेगावॉट (10500 मेगावॉट) अतिरिक्त बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पांच सौ से अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने एवं सभी राजमार्ग एवं मुख्य जिला मार्गों को इण्डियन रोड कांग्रेस के मानक के अनुसार उत्तम गुणवत्ता वाले दो लेन के मार्गों के रूप में विकसित किया जायेगा। सतही जल से सिंचाई के वर्तमान स्तर 21 प्रतिशत को बढ़ाकर

33 प्रतिशत किया जायेगा। सृजित सिंचन क्षमता तथा उसके उपयोग के अन्तर में 60 प्रतिशत की कमी लायी जायेगी।

ग्यारहवीं योजनाकाल में प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रोजगार सृजन, साक्षरता में वृद्धि तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना आवश्यक है।

रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्यारहवीं योजना अवधि में कम से कम सवा करोड़ नये रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। ग्यारहवीं योजना के लिए 85 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा में जेण्डर गैप को वर्तमान स्तर 26.6 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं में रक्तअल्पता के वर्तमान स्तर 48.7 प्रतिशत को घटाकर 20 प्रतिशत पर लाया जायेगा। शिशु मृत्यु दर के वर्तमान स्तर 73 प्रति हजार को घटाकर 36 प्रति हजार, मातृ मृत्यु दर के वर्तमान स्तर 517 को घटाकर 258 प्रति लाख पर लाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रस्तुत बजट, विकास के इन लक्ष्यों और सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास की कार्य-योजना का दस्तावेज है जिसमें अवस्थापना, विशेष रूप से ग्रामीण अवस्थापना के विकास पर बल दिया गया है। साथ ही, प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा करने और शहरी अवस्थापना को सुदृढ़ बनाने के लिए कई योजनायें बजट में प्रस्तावित हैं जिनका उल्लेख मैं आगे करूंगा। इसके पूर्व, वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

- वर्ष 2008-2009 में बजट का आकार एक लाख बारह हजार चार सौ बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख रुपये (112472.72 करोड़ रुपये) है जो पिछले वर्ष के बजट से 11 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2008-2009 के बजट में बारह हजार आठ सौ एक करोड़ अट्ठारह लाख रुपये (12801.18 करोड़ रुपये) की 212 नई योजनायें प्रस्तावित हैं। नई योजनाओं के लिए की गई व्यवस्था पिछले साल के बजट में नई योजनाओं के लिए की गई व्यवस्था से 44 प्रतिशत अधिक है।
- प्रदेश में अवस्थापना विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत बाइस हजार पांच सौ चौवन करोड़ दस लाख रुपये (22554.10 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है, जो गत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

**बजट प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति तथा प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था की समस्या को सुने जाने की मांग (क्रमागत)**

(घोर व्यवधान के मध्यम)

(माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण पढ़ना जारी रखा) .

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का पूरा सम्मान करता हूं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाते रहे)

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, जब छात्रों के सीने पर गोली मारी जायेगी और कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है और बजट प्रस्तुत करने का यह सही समय भी नहीं है, अभी फरवरी चल रहा है और पूरा मार्च बाकी है। हमें अपनी बात कहने का पूरा मौका भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम इसके विरोध में आज पूरे दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के सभी सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

**वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण (क्रमागत)**

श्री लालजी वर्मा-

- वर्ष 2008-09 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष है। प्रदेश के संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु आयोजनागत योजनाओं के लिए अड़तीस हजार पांच सौ अड़सठ करोड़ पैंतीस लाख रुपये (38568.35 करोड़ रुपये) का प्राविधान किया गया है जो वर्ष 2007-2008 के आयोजनागत बजट से 25 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2008-2009 के बजट में दस हजार नौ सौ सतहत्तर करोड़ अड़सठ लाख रुपये (10977.68 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है जो वर्ष 2007-2008 के बजट में अनुमानित राजस्व बचत छः हजार एक सौ छियालिस करोड़ बत्तीस लाख रुपये (6146.32 करोड़ रुपये) से चार हजार आठ सौ इकत्तीस करोड़ छत्तीस लाख रुपये (4831.36 करोड़ रुपये) अधिक है।
- राजकोषीय घाटा ग्यारह हजार छः सौ अट्ठानवे करोड़ इक्यानवे लाख रुपये (11698.91 करोड़ रुपये) रहने का अनुमान है जो वर्ष 2007-2008 के मूल बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटे से सात सौ पचासी करोड़ उन्यासी लाख रुपये (785.79 करोड़ रुपये) कम है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2008-2009 के बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा 2.98 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2007-2008 में यह 3.60 प्रतिशत था।

इस प्रकार बजट में विकास योजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों का यथेष्ट एवं संतुलित आवंटन करने के साथ-साथ प्रदेश की राजकोषीय स्थिति पर अनुशासन भी सुनिश्चित किया गया है।

**. वर्ष 2008-2009 के बजट में सम्मिलित मुख्य योजनायें**

इससे पहले कि मैं विभागवार बजट प्रावधानों की चर्चा करूं, वर्ष 2008-2009 के बजट में सम्मिलित कुछ मुख्य योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूंगा।

## सामाजिक सुरक्षा

- मान्यवर, यह सरकार गरीबों, पिछड़ों और समाज के कमजोर तबकों के कल्याण के प्रति अत्यन्त सजग और संवेदनशील है। निराश्रित विधवायें, वृद्ध और विकलांग समाज के सबसे कमजोर वर्ग में आते हैं। इनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा पेंशन बांटी जाती है। अभी तक योजना का लाभ पाने हेतु वे व्यक्ति पात्र थे जिनकी मासिक आय 1,000 रुपये तक हो अथवा जिनके पास सवा तीन एकड़ से कम भूमि हो। पात्रता की श्रेणी में आने वाले समस्त व्यक्ति योजना से आच्छादित नहीं हो सके थे। हमारी सरकार द्वारा पात्रता हेतु आय सीमा बढ़ाकर गरीबी रेखा तक कर दी गयी है तथा समस्त पात्र व्यक्तियों को योजना से आच्छादित किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप लगभग 28 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को पेंशन से आच्छादित कर लिया जायेगा। वर्ष 2008-2009 में इस हेतु नौ सौ इकसठ करोड़ रुपये (961 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा रही है। पहले यह योजना कुछ जनपदों में पायलट आधार पर लागू की जायेगी जिसके लिए पन्द्रह करोड़ रुपये (15 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना को क्रमिक रूप से प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू किया जायेगा।

## अवस्थापना

- गंगा नदी के बांये किनारे बलिया से नोएडा तक आठ लेन एक्सप्रेस-वे का निर्माण पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 40 हजार करोड़ रुपये हैं परियोजना हेतु विकासकर्ता का चयन किया जा चुका है। इस विशाल परियोजना का क्रियान्वयन विकासकर्ता द्वारा पूर्णतः अपने संसाधनों से किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना हेतु एक नवीन पुनर्वास नीति भी बनाई गई है जिसके अन्तर्गत भी समस्त व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे। इस एक्सप्रेस-वे से पूरे प्रदेश, विशेषकर मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के नये अवसर सृजित होंगे।

- चार अन्य महत्वपूर्ण लिंक एक्सप्रेस-वे गाजियाबाद से सहारनपुर-मोहांड, झांसी से कानपुर-लखनऊ-गोरखपुर-कुशीनगर तक, आगरा से कानपुर तक एवं बिजनौर से मुरादाबाद-फतेहगढ़ तक का निर्माण कार्य भी पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा ताज इण्टरनेशनल एयरपोर्ट एवं एविएशन हब परियोजना पर विचार किया जा रहा है जिससे उत्तर प्रदेश पूरे विश्व से जुड़ेगा और हवाई यात्रा सुलभ होने के कारण विदेशी पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा।
- सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण की कई नई योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं जिनके लिए दो हजार चार सौ अट्ठानवे करोड़ रुपये (2498 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सिंचाई की कई नई योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं जिनके लिए पांच सौ अड़तीस करोड़ रुपये (538 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाये जाने को प्राथमिकता प्रदान की गई है। वर्ष 2008-2009 में बिजली परियोजनाओं हेतु दस हजार तीन सौ तीस करोड़ रुपये (10330 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2007-2008 में की गई व्यवस्था नौ हजार दो सौ नौ करोड़ रुपये (9209 करोड़ रुपये) से 12 प्रतिशत अधिक है।
- इसमें तीन हजार नौ सौ छः करोड़ रुपये (3906 करोड़ रुपये) की व्यवस्था नई परियोजनाओं हेतु है।
- वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिये दो हजार तीन सौ इकतालिस करोड़ रुपये (2341 करोड़ रुपये) तथा पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु चार सौ उन्तीस करोड़ रुपये (429 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।
- विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु एक हजार एक सौ छत्तीस करोड़ रुपये (1136 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

## ग्रामीण अवस्थापना

- विगत 18 वर्षों से ग्राम पंचायतों की आबादी के अन्दर खड़ंजा/नाली का निर्माण कराया जाता रहा है, परन्तु उनके रख-रखाव हेतु अत्यधिक धनराशि अपेक्षित होती है और रख-रखाव सुविधाजनक भी नहीं पाया गया है। इसलिए हमारी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं में खड़ंजा/नाली के स्थान पर सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2008-2009 के बजट में एक हजार करोड़ रुपये (1000 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 में दो हजार दो सौ छियालीस करोड़ रुपये (2246 करोड़ रुपये) की धनराशि से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिससे 236 बसावटो को सर्व ऋतु मार्गों से जोड़ा जा सकेगा।
- ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु एक हजार अस्सी करोड़ रुपये (1080 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 3500 किलोमीटर लम्बाई में पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर 1000 ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ा जायेगा।
- डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना में चयनित 3800 ग्राम सभाओं को सम्पर्क मार्गों से संतृप्त करने हेतु एक हजार दो सौ छः करोड़ रुपये (1206 करोड़ रूपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इस धनराशि से 4000 किलोमीटर लम्बाई में पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जायेगा।
- ऐसे ग्रामीण सम्पर्क मार्गों जिनकी दशा अत्यन्त खराब हो गई है तथा जो चलने योग्य नहीं रह गये हैं, के पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत एक सौ पचास करोड़ रुपये (150 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इस धनराशि से लगभग 4500 किलोमीटर ग्रामीण मार्गों का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार किया जायेगा।
- डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में वर्ष 2008-2009 में 3800 ग्राम सभाओं में अपूर्ण/अधूरे मरम्मत कार्यों को पूर्ण कराकर संतृप्त किया जायेगा जिस पर लगभग दो सौ सैंतीस करोड़ रुपये (237 करोड़ रुपये) का व्यय अनुमानित है। ग्राम सभाओं का संतृप्तीकरण माह मार्च, 2009 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
- अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 में दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं आवासहीन परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 में दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) राज्यांश की व्यवस्था की गई है।
- आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार कराया जा रहा है जिसके लिए वर्ष 2008-2009 में पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की बस्तियों में 150 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प के मानक की दृष्टि से पेयजल सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त गुणता प्रभावित ग्रामों के लिए पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे हैं।

## शहरी अवस्थापना

- सरकार द्वारा जहां एक और ग्रामीण अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव के समक्ष शहरी अवस्थापना के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अवस्थापना विकास सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगारपरक योजनाओं से शहरी क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से संतृप्त किया जायेगा। इनमें मुख्यतः आवास, पेयजल, जल निस्तारण, सीवर, स्वास्थ्य, रोजगार, विद्युतीकरण, सड़क, सफाई व्यवस्था इत्यादि की योजनायें सम्मिलित हैं। योजना हेतु वर्ष 2008-2009 में पांच सौ करोड़ रुपये (500 करोड़ रुपये) की एकमुश्त व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ नगर के समग्र विकास के लिए लखनऊ में उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर कार्य कराये जायेंगे। इन कार्यों में सड़कों का निर्माण, यातायात सुविधाओं का विकास, जलापूर्ति सीवेज निस्तारण, जल निकास, विद्युतीकरण, जनसुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाना आदि प्रस्तावित है। ऐसी योजनायें जिनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है उनके कार्यान्वयन हेतु दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है

## चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- वर्ष 2008-2009 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु तीन सौ तिरासी करोड़ रुपये (383 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिसमें से पचपन करोड़ रुपये (55 करोड़ रुपये) की व्यवस्था अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों हेतु है।
- वित्तीय वर्ष 2008-2009 में दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) के प्रस्तावित प्रावधान से उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जायेगा जिसमें पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) का प्रावधान अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण के लिये है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवार कल्याण एवं मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में दो सौ पैंतीस करोड़ रुपये (235 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त होने

वाली धनराशि लगभग एक हजार तीन सौ तीस करोड़ रुपये (1330 करोड़ रुपये) भी उपलब्ध होगी।

- विभिन्न जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों हेतु लगभग छः सौ चौरानवे करोड़ रुपये (694 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है। इसमें से छः सौ चौबीस करोड़ रुपये (624 करोड़ रुपये) की व्यवस्था स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत है।

## शिक्षण संस्थायें

- वर्ष 2008-2009 में 2500 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 4000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा बच्चों के बैठने के लिये 15000 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है।
- बालिका शिक्षा के विस्तार के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे असेवित विकास खण्ड जहां पर कोई भी बालिका हाई स्कूल/इण्टर कालेज संचालित नहीं हैं, वहां पर बालिका शिक्षा हेतु वर्ष 2008-2009 में 30 नये राजकीय बालिका विद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है।
- विभिन्न कारणों से विद्यालयों में अध्ययन न कर पाने वाले बच्चों के लिये घर बैठकर माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् की स्थापना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के विस्तार एवं प्रसार हेतु नये राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना, पॉलीटेक्निकों में छात्रावास के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु छियालिस करोड़ रुपये (46 करोड़ रुपये) की नई योजनाओं तथा प्रदेश की सात स्वायत्तशासी अभियंत्रण संस्थाओं में अवस्थापना विकास के लिये पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) की नई योजना प्रस्तावित है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत दो इंजीनियरिंग कालेज तथा 12 आई0टी0 पॉलीटेक्निकों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये छत्तीस करोड़ रुपये (36 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है। इसमें से एक आई0टी0 पॉलिटेक्निक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खोला जायेगा।
- प्रदेश में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि महाविद्यालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण तथा शोध परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एक सौ पंचानवे करोड़ रुपये (195 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं प्रस्तावित हैं।

## रोजगारपरक योजनायें

- प्रदेश में दुग्ध विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008-2009 में डॉ0 अम्बेडकर दुग्ध स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की जा रही है। योजना के प्रथम चरण

में लगभग 1.10 लाख इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। योजना हेतु दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- 30 हजार बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा 61 करोड़ मीटर हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्ष 2008-2009 में 6500 नयी ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है जिसमें 52000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
- ग्रामीण उद्योग रोजगार सृजन योजना (मार्जिन मनी) के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 हेतु 2200 इकाइयों की स्थापना से 39,600 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 88000 रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की कार्यवाही की जा रही है।

**बुन्देलखण्ड का विकास**

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लगभग 78 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र गत 4 वर्षों से सूखाग्रस्त है जिससे इन किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी है। बुन्देलखण्ड के सभी सातों जनपदों में किसानों पर बैंकों के कृषि ऋण पर बकाया ब्याज को माफ किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत तीन सौ करोड़ रुपये (300 करोड़ रुपये) व्यय होने का अनुमान है। शुरुआती तौर पर वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट में इस योजना हेतु सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। भविष्य में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर ली जायेगी।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल की कमी को देखते हुए सिंचाई की नयी तकनीक "ड्रिप इरीगेशन प्रणाली" लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली में स्प्रिंकलर एवं ड्रिप से थोड़ा-थोड़ा पानी सिंचाई के लिये दिया जाता है। सिंचाई की इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सर्वसमाज के लघु और सीमान्त किसानों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी किसानों के लिये शासकीय व्यय पर इन यंत्रों को लगाने की योजना है। बाकी श्रेणी के किसानों को इन यंत्रों की खरीद पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इस योजना को लागू करने के लिए लगभग चार सौ करोड़ रुपये (400 करोड़ रुपये) की आवश्यकता होगी। शुरुआती तौर पर वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट में इस योजना हेतु सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। भविष्य में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर ली जायेगी।

- सूखे के कारण बुन्देलखण्ड में नहरों में पानी की बहुत कमी हो गई है इसलिये हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन नहरों में पानी नहीं पहुंच पाता है उनके आसपास समूह में नलकूप लगाकर पानी की कमी को पूरा किया जायेगा। इस योजना पर लगभग चालीस करोड़ रुपये (40 करोड़ रुपये) व्यय होंगे।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि के लिए मौसम बीमा योजना भी लागू की जायेगी। इस योजना में सूखे से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी द्वारा की जायेगी।
- बुन्देलखण्ड में सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की लागत से एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसमें यहां की जलवायु, जमीन तथा अन्य विशिष्टताओं के आधार पर कृषि सम्बन्धी अनुसंधान कार्य भी किया जायेगा।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बांदा जिले में तीन सौ पचास करोड़ रुपये (350 करोड़ रुपये) की लागत से "बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कालेज" और झांसी में "मान्यवर श्री कांशीराम जी पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज" का निर्माण किया जा रहा है।
- बुन्देलखण्ड एवं प्रदेश के अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पूंजीगत कार्यों हेतु सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु तीन सौ तीस करोड़ रुपये (330 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विशेष योजना लायी जा रही है जिसमें वृहत निर्माण, शहरी जलापूर्ति, ग्रामीण जलापूर्ति, भू-जल संग्रह आदि कार्य कराये जायेंगे। योजना हेतु वर्ष 2008-2009 के बजट में डेढ़ सौ करोड़ रुपये (150 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम हेतु वर्ष 2008-2009 के बजट में सात सौ करोड़ रुपये (700 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें से बुन्देलखण्ड के जनपदों हेतु भी धनराशि उपलब्ध होगी।

## शान्ति व्यवस्था

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण उत्पन्न करते हुए कानून का राज कायम किया गया है। गुण्डागर्दी, माफियागर्दी व समाज में अशान्ति फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर समयबद्ध रूप से निष्पक्ष कार्यवाही की गई हैं परिणामस्वरूप वर्ष 2007 में वर्ष 2006 की तुलना में डकैती में 22 प्रतिशत, लूट में 43.3 प्रतिशत, हत्या में 19.1 प्रतिशत, बलवा में 20.7 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 25 प्रतिशत,

एवं फिरौती के लिये अपहरण में 42.3 प्रतिशत की कमी आई है। अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में 10.85 प्रतिशत की कमी आई है।

नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चन्दौली में पुलिस तथा पी0ए0सी0 में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य कार्मिकों की भांति उनके मूल वेतन का 30 प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश में माफिया गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये हैं जिसके अन्तर्गत ऐसे सरकारी कार्य जिनकी लागत दो लाख रुपये या उससे अधिक हो, से सम्बन्धित टेकों अथवा निविदा को राज्य सरकार के सभी विभाग अथवा उसकी स्थानीय इकाइयों एवं निगमों द्वारा स्वीकार किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र/चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य बनाया गया है।

विशेष जोखिम भरे कार्यों के दौरान एवं सक्रिय सेवा करते समय मृत 29 पुलिस कर्मियों के आश्रितों को एक करोड़ बहत्तर लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि तथा 18 घायलों को लगभग छः लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।

उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं निर्माण कार्यों के लिये 2008-2009 के बजट में दो सौ छियासी करोड़ रुपये (286 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

## राजकोषीय सेवायें

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति में राजकोषीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके माध्यम से वाणिज्य कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्रीकर, मनोरंजन कर, भू-राजस्व आदि की वसूली होती है।

## वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश में 01 जनवरी, 2008 से मूल्य संवर्धित कर प्रणाली (वैट) लागू कर दी गयी है जिससे प्रदेश के उपभोक्ता, किसान व्यापारी एवं उद्योगों को लाभ होगा।

## किसानों को लाभ

इस प्रणाली के अन्तर्गत कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले वॉटर पम्प, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर तथा रासायनिक खाद एवं कीटनाशक पर कर की दर को घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है। सभी प्रकार के बीजों एवं मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ) को कर मुक्त किया गया है।

## सामान्य जन को लाभ

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा मिट्टी के तेल पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत तथा सभी प्रकार के दुग्ध उत्पाद, दवाओं, सायकिल, माचिस पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर निर्धारित की गई है।

## उद्योगों को बढ़ावा

उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैपिटल गुड्स पर दिये गये कर को वापस या समायोजित किये जाने तथा कच्चे माल पर दिये गये कर की वापसी के समायोजन का प्रावधान किया गया है। निर्यात/अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर कर भार समाप्त कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी की वस्तुओं पर कर की दर 4 प्रतिशत की गई है।

## व्यापारियों के हित में

छोटे व्यापारियों को कर के दायरे से बाहर रखने के लिये पंजीयन सीमा दो/तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। कर मुक्ति के फार्म (3क, 3ख, 3ग व 3घ) समाप्त कर दिये गये हैं। पंजीयन के लिए अलग से "रजिस्टरिंग अथॉरिटी" का गठन कर दिया गया है जिसके द्वारा 30 दिन के भीतर पंजीयन प्रार्थना-पत्र के निस्तारण की व्यवस्था है। मासिक कर व नक्शा देने वाले व्यापारियों के लिए विक्रय धन की सीमा दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है जिससे कम व्यापारियों को मासिक नक्शा देना पड़ेगा। शत प्रतिशत वादों का स्वतः कर निर्धारण किये जाने की व्यवस्था है। व्यापारियों के विरुद्ध अभियोजन के प्रावधान समाप्त कर दिये गये हैं।

अन्य राज्यों में वैट व्यवस्था के लागू होने के बाद कर राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुये इस बात की पूरी सम्भावना है कि वैट लागू होने से राज्य सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी।

## आबकारी

आबकारी शुल्क प्रदेश के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से है। उत्तर प्रदेश में मदिरा व्यवसाय पर बड़े ठेकेदार का एकाधिकार समाप्त करने, नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने व प्रदेश के राजस्व में आशानुकूल वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति लागू की गयी है।

## स्टाम्प एवं निबन्धन

लेख पत्रों का पंजीकरण एवं उन्हें दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था को उत्तरोत्तर पारदर्शी, त्वरित, आधुनिक, सरल एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु सरकार कटिबद्ध है। इस निमित्त विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। निबन्धन विभाग के कार्यालयों हेतु तहसील मुख्यालयों तथा अन्य छूटे हुए जिला मुख्यालयों में निबन्धन भवनों का निर्माण कराया जाना भी वर्ष 2008-2009 में प्रस्तावित है।

## मनोरंजन कर

प्रदेश में मनोरंजन कर की आय का लगभग 70 प्रतिशत छविगृहों/मल्टीप्लेक्स से प्राप्त होता है। शेष 30 प्रतिशत अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य रूप से केबिल टी0वी0 नेटवर्क एवं वीडियो लाइब्रेरी इत्यादि हैं। जनता को आधुनिक तकनीक से युक्त मनोरंजन उपलब्ध कराने हेतु नये मल्टीप्लेक्स छविगृह खोलने के लिए मल्टीप्लेक्स में फिल्म के प्रथम प्रदर्शन से प्रथम तीन वर्ष तक 100 प्रतिशत एवं आगामी 2 वर्षों तक 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया गया है। प्रदेश में बन्द पड़े छविगृहों को तोड़कर सिनेमाहॉल सहित व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण करने वाले छविगृहों हेतु प्रोत्साहन योजना लागू है।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 में मनोरंजन कर विभाग की मुख्य प्राथमिकता बन्द छविगृहों को पुनः आधुनिक तकनीक से युक्त कर संचालित कराने तथा प्रदेश में मल्टीप्लेक्स संचालित कराने की है। इसके साथ ही डी0टी0एच0 के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले मनोरंजन को कर के दायरे में लाने की योजना है।

## परिवहन

सरकार का यह प्रयास है कि जहां जन सामान्य हेतु माल ढुलाई एवं यात्रियों को सुविधा देने हेतु आवश्यक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो, वहीं मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य को राजस्व की प्राप्ति हो।

प्रमुख महानगरों के मध्य शताब्दी श्रेणी की द्रुतगामी वातानुकूलित बसों का संचालन सफलतापूर्वक प्रारम्भ किया गया है। इन बसों में समाचार-पत्र, मिनरल वाटर, टेलीविजन एवं चलचित्र आदि की व्यवस्था है।

नोएडा, कानपुर एवं लखनऊ में सी0एन0जी0 बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से निर्मित फैसिलिटी सेन्टर, "मयूर क्लासिक" आरम्भ किया जा रहा है।

## ग्राम्य विकास

सरकार द्वारा ग्रमीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं जिनमें रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। डॉ0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के माध्यम से गरीबी की रेखा से आंशिक रूप से ऊपर वाले परिवारों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। आवास विहीन गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जायेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना वर्तमान में 39 जनपदों में चल रही है। वर्ष 2008-2009 में यह योजना पूरे प्रदेश में संचालित हो जायेगी। वित्तीय वर्ष 2008-2009 में इस योजना के लिए तीन सौ करोड़ रुपये (300 करोड़ रुपये) राज्यांश की व्यवस्था प्रस्तावित है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना हेतु वर्ष 2008-2009 में छः सौ तीस करोड़ रुपये (630 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी वाले ग्रामों में सामुदायिक हाल के निर्माण हेतु वर्ष 2008-2009 में बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

**कृषि**

वर्ष 2008-2009 में कृषि उत्पादन में 497 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें खरीफ में 172 लाख मीट्रिक टन एवं रबी में 325 लाख मीट्रिक टन सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त 12 लाख मीट्रिक टन तिलहनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में कृषि क्षेत्र में अभीष्ट विकास दर प्राप्त किये जाने हेतु कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा किसानों की आय में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए वर्ष 2008-2009 के बजट में दो सौ तिरासी करोड़ रुपये (283 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में समस्याग्रस्त भूमि को उत्पादक बनाने की दृष्टि से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बहुआयामी किसान हित योजना क्रियान्वित की जा रही है। आठ सौ नब्बे करोड़ रुपये (890 करोड़ रुपये) की लागत वाली इस परियोजना के माध्यम से 5 वर्षों में 7 लाख हेक्टेयर भूमि को उपचारित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन से लगभग सवा सात करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे। योजना हेतु वर्ष 2008-2009 के बजट में एक सौ सत्तर करोड़ रुपये (170 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

**कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान**

प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में आ रहे ठहराव के दृष्टिगत कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार को और प्रभावी बनाये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2008-2009 में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु दो सौ नब्बे करोड़ रुपये (290 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि विश्वविद्यालयों तथा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् में कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार से सम्बन्धित अवस्थापनाओं के सुदृढ़ीकरण, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में नये विषयों पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत बेसिक साइंस, एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट, गृह विज्ञान, औद्यानिकी, इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी तथा फूड प्रोसेसिंग, पशु चिकित्सा विज्ञान, डेरी टेक्नोलॉजी आदि विषयों के नये महाविद्यालयों तथा शोध केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

**पंचायती राज**

विगत 18 वर्षों से ग्राम पंचायतों की आबादी के अन्दर खड़न्जा/नाली का निर्माण कराया जाता रहा है, परन्तु उनके रख-रखाव हेतु अत्यधिक धनराशि अपेक्षित होती है और रख-रखाव

सुविधाजनक भी नहीं पाया गया है। इसलिए हमारी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं में खड़ंजा/नाली के स्थान पर आर0सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा। वर्ष 2008-2009 में योजना के अन्तर्गत चयनित की जाने वाली 3800 ग्राम सभाओं में लगभग 30,400 किलोमीटर सी0सी0 रोड तथा 45,600 किलोमीटर के0सी0 ड्रेन का निर्माण प्रस्तावित है। बजट में इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये (1000 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्ष 2008-2009 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के दस लाख लाभार्थियों तथा गरीबी रेखा के ऊपर के एक लाख लाभार्थियों के लिये व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु एक सौ अड़तीस करोड़ रुपये (138 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्ष 2008-2009 में लगभग चार हजार पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य है जिसके लिए एक सौ चौदह करोड़ रुपये (114 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

**सहकारिता**

किसानों के आर्थिक विकास में सहकारी साख संस्थाओं की विशिष्ट भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश में 51 जिला सहकारी बैंक एवं 7479 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं जिनमें से समस्त बैंक एवं अधिकांश समितियां हानि में हैं। सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुद्धार तथा आर्थिक रूप से इसे सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रोफेसर वैद्यनाथन समिति की संस्तुतियों के आधार पर तैयार किये गये रिवाइवल पैकेज को लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार एवं नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इस पैकेज में सहकारी ऋण ढांचे में संस्थागत सुधार के साथ-साथ सहकारी बैंकों एवं समितियों की हानियों को समाप्त किये जाने हेतु अनुदान दिया जाना है। तद्नुसार इस हेतु वर्ष 2008-2009 के बजट में डेढ़ सौ करोड़ रुपये (150 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

**गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग**

हमारी सरकार की प्राथमिकता गन्ना किसानों को बकाये गन्ना मूल्य का यथाशीघ्र भुगतान कराने की है जिससे किसानों का हित प्रभावित न हो।

किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान में लापरवाही करने वाली कई चीनी मिलों के खिलाफ कठोर कदम उठाये गये है तथा भारतीय दण्ड संहिता एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मिल मालिकों की सीधी जवाबदेही तय करने के लिए उन्हें मिल का अध्यासी बनाकर कार्यवाही की जा रही है। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले तथा उनकी खुशहाली बढ़े।

गन्ना पेराई सत्र, 2006-2007 में कुल 133 चीनी मिलें संचालन की स्थिति में रही थीं। वर्तमान पेराई सत्र, 2007-2008 में नौ नई चीनी मिलें गन्ना पेराई का कार्य पहली बार प्रारम्भ

करने जा रही हैं। इस प्रकार इस वर्ष कुल कार्यरत चीनी मिलों की संख्या 133 से बढ़कर 142 हो जायेगी।

**लघु सिंचाई**

वर्ष 2008-2009 में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम में तिरासी करोड़ रुपये (83 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे दो लाख निःशुल्क बोरिंग किये जाने का लक्ष्य है।

लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 2400 गहरे नलकूप, 4706 मध्यम गहरी बोरिंग, 192 इनवेल बोरिंग, 400 ब्लास्टवेल निर्माण/ब्लास्टकूप को गहरा करना, 1000 सतही पम्पसेट, 100 आर्टीजन कूप, 88 चेकडैम के कार्य प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त जनपद महोबा में 198 सामुदायिक ब्लास्टकूपों का निर्माण एवं गहरा करना प्रस्तावित है।

डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना के अन्तर्गत कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में 400 नलकूप निर्माण कराने का लक्ष्य है जिसके लिए सत्रह करोड़ रुपये (17 करोड़ रुपये) तथा डा0 अम्बेडकर सामुदायिक नलकूप योजना में 200 गहरे नलकूपों के निर्माण हेतु चार करोड़ तीस लाख रुपये (4.30 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

**भूमि विकास एवं जल संसाधन**

समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-2009 में एक लाख चौदह हजार हेक्टेयर का लक्ष्य प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस कार्य से वर्ष 2008-2009 में 54 लाख मानव दिवस का सृजन अनुमानित है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु लगभग 11 लाख मानव दिवस सम्मिलित हैं।

वर्ष 2008-2009 में सूखा बाहुल्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे एक लाख बारह हजार हेक्टेयर क्षेत्र के उपचारण का लक्ष्य है।

**अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास**

अवस्थापना परियोजनाओं के त्वरित विकास हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने, वृहद परियोजनाओं को बढ़ावा देने एवं इनके समुचित अनुश्रवण हेतु सरकार द्वारा पृथक विभाग "अवस्थापना विकास विभाग" का गठन किया गया है। साथ ही अवस्थापना विकास के लिए पांच अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं कृषकों का सशक्तीकरण, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, नगरीय पुनरुत्थान, उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था एवं विश्व स्तरीय सड़क अवस्थापना।

प्रदेश में निजी निवेशकों की अधिकाधिक सहायता लेकर अवस्थापना विकास हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति पारित की गई है जिसके तहत नयी परियोजनायें आनी प्रारम्भ हो गई हैं।

जैसा मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं गंगा नदी के बांये किनारे बलिया से नोयडा तक आठ लेन एक्सप्रेस-वे का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त चार अन्य महत्वपूर्ण लिंक एक्सप्रेस-वे गाजियाबाद से सहारनपुर-मोहांड, झांसी से कानपुर-लखनऊ-गोरखपुर-कुशीनगर तक, आगरा से कानपुर तक एवं बिजनौर से मुरादाबाद-फतेहगढ़ तक का निर्माण कार्य भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर किया जायेगा।

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र नीति को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (संशोधित) नीति, 2007 जारी की गई है जिसके तहत विकासकर्ता के चयन हेतु पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है ताकि किसानों की जमीनों का जबरदस्ती अधिग्रहण न हो।

प्रदेश में सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) या अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु वर्ष 2008-2009 के बजट में डेढ़ सौ करोड़ रुपये (150 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

**ऊर्जा**

विद्युत उत्पादन में वृद्धि किये जाने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र में 10,500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008-2009 में विद्युत वितरण प्रणाली में विद्यमान वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर राजस्व वसूली में वृद्धि किये जाने के साथ-साथ "डबल मीटरिंग" एवं "आटोमेटेड मीटर रीडिंग" जैसी विशेष तकनीकी विधाओं को विभिन्न वितरण क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से लागू किये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा।

बिजली की उपलब्धता बढ़ाये जाने को प्राथमिकता प्रदान की गई है। वर्ष 2008-2009 में बिजली परियोजनाओं हेतु दस हजार तीन सौ तीस करोड़ रुपये (10330 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2007-2008 में की गई व्यवस्था नौ हजार दो सौ नौ करोड़ रुपये (9209 करोड़ रुपये) से 12 प्रतिशत अधिक है।

प्रदेश में वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा विद्युत उपलब्धता बढ़ाने हेतु दो हजार तीन सौ इकतालिस करोड़ रुपये (2341 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग चार सौ उन्तीस करोड़ रुपये (429 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

बिजली उत्पादन की कई नयी परियोजनायें वर्ष 2008-2009 में प्रारम्भ की जा रही हैं। जिसके लिए एक हजार एक सौ छत्तीस करोड़ रुपये (1136 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

**सड़क एवं सेतु**

हमारे प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा निर्मित मार्गों का सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 में सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव हेतु छः हजार तीन सौ सैंतालिस करोड़ रुपये (6347 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक हजार पंचानवे करोड़ रुपये (1095 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 1800 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य सम्पादित कराये जायेंगे। इसमें "मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना" के अन्तर्गत शहरी मार्गों के सुधार/पुनर्निर्माण हेतु एक सौ पचहत्तर करोड़ रुपये (175 करोड़ रुपये) की व्यवस्था सम्मिलित है।

विश्व बैंक सहायतित स्टेट रोड प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-2009 में चार सौ सत्तर करोड़ रुपये (470 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जिससे 600 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराने का लक्ष्य है।

प्रदेश के मार्ग संजाल के समुचित रख-रखाव हेतु एक हजार दो सौ उन्तालिस करोड़ रुपये (1239 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस धनराशि से 25000 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों को गड्ढामुक्त किया जायेगा।

पुलों एवं रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु पांच सौ पचहत्तर करोड़ रुपये (575 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिसमें से चार सौ पच्चीस करोड़ रुपये (425 करोड़ रुपये) की धनराशि की व्यवस्था नदियों एवं बड़े नालों पर पुलों के नर्माण हेतु की गई है।

## सिंचाई

विभिन्न नहर-प्रणालियों की क्षमता की पुनर्स्थापना एवं नहरों की सफाई कराकर अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस हेतु विभागीय बजट के अतिरिक्त अन्य योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना आदि से उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी किया जायेगा।

सिंचाई कार्यों के लिये वर्ष 2008-2009 में तीन हजार सात सौ नवासी करोड़ रुपये (3789 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2007-2008 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।

राजकीय नलकूपों के पुनरोद्धार, आधुनिकीकरण एवं नवनिर्माण को भी वर्तमान सरकार द्वारा प्राथमिकता प्रदान की गई है, जिसके लिये वर्ष 2008-2009 के बजट में लगभग एक सौ अस्सी करोड़ रुपये (180 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

**बाढ़ नियंत्रण एवं जल-उत्सारण की योजनाओं के लिए वर्ष 2008-2009 में तीन सौ सत्तर करोड़ रुपये (370 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी कार्यों को समय से पूर्ण कराने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।**

**नगर विकास**

शहरों के सुनियोजित एवं समग्र विकास के लिए समयबद्ध रूप से अवस्थापना सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों से नगरों को संतृप्त करने के उद्देश्य से "मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समर्ग विकास योजना" प्रारम्भ की जा रही है। इनमें मुख्यतः आवास, पेयजल, जल निस्तारण, सीवर, स्वास्थ्य, रोजगार, विद्युतीकरण, सड़क, सफाई व्यवस्था इत्यादि से सम्बन्धित योजनायें सम्मिलित हैं। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट में पांच सौ करोड़ रुपये (500 करोड़ रुपये) की एकमुश्त व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का भी उपयोग किया जायेगा।

शहरी झोपड़पट्टियों में रहने वाले व्यक्तियों को बेहतर रिहायशी सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "इन्ट्रीग्रेटेड हाऊसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेण्ट योजना" कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य चिन्हित शहरी क्षेत्रों में झोपड़पट्टियों के निवासियों को रिहायशी सुविधाओं के साथ-साथ स्वस्थ वातावरण भी उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत झोपड़पट्टियों का सुधार, मकानों का उन्नयन/निर्माण, जल आपूर्ति, सीवर आदि अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट में दो सौ बयालिस करोड़ रुपये (242 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नागर निकायों को अवस्थापना विकास कार्यों हेतु मान्यवर कांशीराम जी नगर विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 में ब्याज रहित ऋण हेतु दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। पेयजल एवं जलोत्सारण हेतु वर्ष 2008-2009 में लगभग एक सौ छिहत्तर करोड़ रुपये (176 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ऐसे नगर, जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रीन्यूअल मिशन व अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाऊन्स योजना से आच्छादित नहीं हो पाये हैं, तथा जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है, में "आदर्श नगर योजना" के तहत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2008-2009 में इस योजना के संचालन हेतु सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

**नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम**

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-2009 में 20000 स्वरोजगार सृजन, 35000 लोगों को प्रशिक्षण दिये जाने, 77 डवाकुआ समूहों का गठन एवं लाभान्वित किये जाने तथा नगरीय मजदूरी योजनान्तर्गत लगभग साढ़े छः लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य है।

**हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग**

वित्तीय वर्ष 2008-2009 में 30 हजार बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा 61 करोड़ मीटर हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बुनकरों के स्वास्थ्य के लिए

स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गयी है। योजनान्तर्गत तीन लाख बुनकरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

राज्य स्तरीय हथकरघा संगठनों की पुनर्संरचना की एकीकृत हथकरघा विकास योजना हेतु वर्ष 2008-2009 के बजट में लगभग पन्द्रह करोड़ रुपये (15 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

**खादी एवं ग्रामोद्योग**

वर्ष 2008-2009 में 6500 नई ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है जिससे 52000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिये 1100 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है जिससे अनसूचित जाति/जनजाति के लगभग 8800 व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ होंगे।

इसके अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण उद्योग रोजगार सृजन योजना (मार्जिन मनी) के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 हेतु 2200 इकाइयों की स्थापना से 39600 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु लगभग चौदह करोड़ रुपये (14 करोड़ रुपये) के पूंजी निवेश से 280 नई इकाइयों की स्थापना की जायेगी जिससे लगभग 6000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।

**चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए पांच हजार छः सौः छब्बीस करोड़ रुपये (5626 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2007-2008 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि एक हजार तीन सौ तीस करोड़ रुपये (1330 करोड़ रुपये) भी उपलब्ध होगी।

औषधि एवं रसायन मद में वर्ष 2008-2009 में दो सौ चौंतीस करोड़ रुपये (234 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2007-2008 की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2007-2008 में निर्माण प्रारम्भ हो चुके 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों-कौशाम्बी, जे0पी0 नगर, तरवां (आजमगढ़), सिरौली गौसपुर (बाराबंकी) का निर्माण कार्य वर्ष 2008-2009 में पूर्ण कराया जायेगा।

वर्ष 2008-2009 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु तीन सौ तिरासी करोड़ रुपये (383 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिये संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत राजकीय व मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के निःशुल्क शैय्या वार्ड में प्रसव कराने की दशा में ग्रामीण लाभार्थियों को रुपये 1400 प्रति प्रसव,

शहरी लाभार्थियों को रुपये 1000 प्रति प्रसव व प्रथम दो बच्चों के घरेलू प्रसव पर रुपये 500 प्रति प्रसव का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2008-2009 में दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) के प्रस्तावित प्रावधान से उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जायेगा जिसमें से पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) का प्रावधान अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण के लिये है।

राज्यांश के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लगभग दो सौ पैंतीस करोड़ रुपये (235 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

## चिकित्सा शिक्षा

छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को सेण्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निमित्त 5 वर्षों में चार सौ सैंतालिस करोड़ रुपये (447 करोड़ रुपये) व्यय होने का अनुमान है।

प्रत्येक 50 लाख की जनसंख्या पर एक मेडिकल कालेज के मानक को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में जनपद अम्बेडकर नगर, सहारनपुर एवं बांदा में एक-एक राजकीय मेडिकल कालेज निर्माणाधीन हैं। इस निमित्त वर्ष 2008-2009 के बजट में चार सौ तिरपन करोड़ रुपये (453 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, आजमगढ़, उरई (जालौन) एवं कन्नौज तथा जनपद झांसी के पैरामेडिकल कालेज भवनों को शीघ्र पूरा कर संचालित किया जायेगा। जनपद गोरखपुर व अलीगढ़ में दो नये होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना की जा रहा है।

## प्राथमिक शिक्षा

राज्य सरकार 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कृत संकल्प है। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जायं तथा विद्यालयों के भौतिक परिवेश को और अधिक सुदृढ़ किया जाय। विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु वर्ष 2008-2009 में चालीस करोड़ रुपये (40 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। लगभग 85,000 स्कूल शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है। अम्बेडकर ग्रामों में स्थित लगभग 9000 परिषदीय विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण, बच्चों के लिये फर्नीचर की व्यवस्था तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के लिये कम्प्यूटर शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है तथा छात्रवृत्ति के वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की डिजिटल फोटोग्राफी कराई जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे समस्त विद्यालयों, जिनमें चहारदीवारी नहीं है तथा बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, में चहारदीवारी का निर्माण तथा विद्युतीकरण कराये जाने का लक्ष्य है।

वर्ष 2008-2009 में 2500 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 4000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा बच्चों के बैठने के लिये 15000 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है।

आउट आफ स्कूल बच्चों की शिक्षा हेतु वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 3900 शिक्षा गारन्टी केन्द्र तथा 5000 वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा केन्द्र तथा 800 आवासीय ब्रिज कोर्स व 2000 गैर आवासीय ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है।

**माध्यमिक शिक्षा**

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय हेतु वर्ष 2008-2009 में साढ़े तेरह करोड़ रुपये (13.50 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बालिका शिक्षा के विस्तार के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे असेवित विकास खण्ड जहां पर कोई भी बालिका हाई स्कूल/इण्टर कालेज संचालित नहीं हैं वहां पर बालिका शिक्षा हेतु वर्ष 2008-2009 में 30 नये राजकीय बालिका विद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है।

बालिका/बालिकाओं को इण्टरमीडियेट तक शिक्षा सुलभ कराने के उद्देय से राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर तक उच्चीकरण किये जाने की योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2008-2009 में 11 विद्यालयों का उच्चीकरण प्रस्तावित है।

राज्य में विभिन्न कारणों से विद्यालयों में अध्ययन न कर पाने वाले बच्चों के लिये ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है जिससे वह घर पर बैठकर भी माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य से राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् की स्थापना प्रस्तावित है।

**उच्च शिक्षा**

प्रदेश के ऐसे जनपद, जिनमें कोई भी राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है, में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करने का लक्ष्य है।

प्रदेश में 51 राजकीय महाविद्यालयों में बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

प्रदेश के 20 शासकीय तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा के 'उत्कृष्टता केन्द्र' के रूप में विकसित किया जायेगा।

**प्राविधिक शिक्षा**

स्पेशनल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मान्यवर कांशीराम इंजीनियरिंग कालेज आफ इन्फारमेशन एण्ड टेक्नोलाजी के नाम से उत्तर प्रदेश में दो इंजीनियरिंग कालेज एवं महामाया पालीटेक्निक आफ इन्फारमेशन एण्ड टेक्नोलाजी के नाम से 4 पालीटेक्निकों की स्थापना प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2008-2009 में प्रदेश में 2 अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इंजीनियरिंग कालेज तथा 12 सूचना प्रौद्योगिकी पालीटेक्निक की स्थापना की जायेगी।

राजकीय पालीटेक्निकों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट में इक्कीस करोड़ रुपये (21 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

## महिला एवं बाल विकास

बालिका-श्री योजना का लाभ समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अन्तर्गत रुपये 2000 के बचत पत्र तथा रुपये 500 का दुर्घटना बीमा कराया जाता है। बालिका के माता-पिता का दुर्घटना बीमा कराये जाने पर दुर्घटना में माता अथवा पिता किसी एक की अथवा दोनों की मृत्यु होने पर रुपये 5 लाख की धनराशि बालिका के पालन पोषण हेतु मनोनीत अभिभावक को उपलब्ध करायी जायेगी एवं बालिका के नाम से क्रय किये जाने वाले रुपये 2000 के राष्ट्रीय बचत पत्र से लगभग रुपये 8000 की धनराशि बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होगी।

निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाली निराश्रित विधवाओं को सम्मिलित कर आच्छादन बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के लिये वर्ष 2008-2009 में सात सौ बारह करोड़ रुपये (712 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2007-2008 की तुलना में दो गुने से अधिक है।

## अनुसूचित जातियों का कल्याण

वर्ष 2007-2008 के बजट में अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के अन्तर्गत लगभग चार हजार नौ सौ छियासी करोड़ रुपये (4986 करोड़ रुपये) के सापेक्ष वर्ष 2008-2009 में सात हजार सोलह करोड़ रुपये (7016 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो 41 प्रतिशत अधिक है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कक्षा 12 तक उच्चीकरण कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों एवं अस्वच्छ पेशे में लगे स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों की बेरोजगारी दूर करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए स्वतः रोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण/क्रय योजना, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना, डेरी योजना, ड्राई क्लीनिंग एवं लॉण्ड्री व्यवसाय हेतु ब्याजमुक्त ऋण योजना संचालित की जा रही है तथा अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के लिए स्वच्छकार विमुक्ति एवं उनके पुनर्वासन की योजना संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के संचालन हेतु वर्ष 2008-2009 के बजट में दो सौ अड़तीस करोड़ रुपये (238 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

**अल्पसंख्यक कल्याण**

अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति मद में वर्ष 2008-2009 के बजट में साठ करोड़ रुपये (60 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मदरसों/मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं में लगभग 3700 प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी शिक्षकों को लिया जाना प्रस्तावित है।

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को लघु उद्योग/व्यवसाय स्थापित किये जाने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।

**समाज कल्याण**

वृद्धावस्था/ किसान पेंशन योजनान्तर्गत पात्रता आय सीमा में वृद्धि कर बी0पी0एल0 सूची के परिवारों के समस्त वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2008-2009 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत एक हजार चार सौ इक्यावन करोड़ रुपये (1451 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2007-2008 की तुलना में 66 प्रतिशत अधिक है।

**पिछड़ा वर्ग कल्याण**

वित्तीय वर्ष 2008-2009 में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आठ सौ तिरासी करोड़ रुपये (883 करोड़ रुपये) की व्यवस्था तथा पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए 14 छात्रावासों के निर्माण हेतु सात करोड़ रुपये (7 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजन की बीमारी के इलाज हेतु वर्ष 2008-2009 में बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण कराते हुए कक्षा 1 से 8 तक छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि ग्राम निधि-3 एवं कक्षा 9 या इससे ऊपर के छात्र/छात्राओं के खातों में सीधे हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

**विकलांग कल्याण**

विकलांग व्यक्तियों के भरण-पोषण हेतु पात्रता सीमा बढ़ाकर गरीबी रेखा तक सभी पात्र व्यक्तियों को आच्छादित करते हुए इस मद में लगभग तीन सौ पांच करोड़ रुपये (305 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। विकलांग जन में शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये प्रदेश में स्थापित विश्वविद्यालयों में विकलांग जन हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिये पांच करोड़ पचास

लाख रुपये (5.50 करोड़ रुपये) तथा विकलांग जन हेतु राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना हेतु छः करोड़ रुपये (6 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर विकलांग जन हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये वर्ष 2008-2009 के बजट में एक करोड़ रुपये (1 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है। विभिन्न शासकीय संस्थानों एवं विद्यालयों के विकलांग संवासियों के दैनिक व्यय हेतु दी जाने वाली मासिक धनराशि को पांच सौ पचास रुपये से बढ़ाकर आठ सौ पचास रुपये किया जा रहा है।

## वन एवं पर्यावरण

प्रदेश में वनीकरण में वृद्धि सुनिश्चित करने, पर्यावरण संरचना एवं परिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के 15 जनपदों में "हाई वैल्यू प्लान्टेशन योजना" प्रारम्भ की जा रही है। योजना हेतु वर्ष 2008-2009 के बजट में आठ करोड़ सैतीस लाख रुपये (8.37 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के सामुदायिक सहभागिता के आधार पर दीर्घकालिक प्रबन्धन हेतु "उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेण्ट एण्ड पावर्टी एलिविएशन परियोजना" प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिए पचपन करोड़ रुपये (55 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार एवं संवर्धन हेतु पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। ताज ट्रेपेजियम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 में अस्सी करोड़ रुपये (80 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

### कारागार प्रशासन

वित्तीय वर्ष 2008-2009 में प्रदेश के नवसृजित जनपद बागपत, महरागंज, कौशाम्बी एवं बलरामपुर में निर्माणाधीन जिला कारागारों में निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। घनी आबादी के मध्य आने वाली कारागारों, जैसे कि जिला कारागार मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, बदायूं, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ एवं आदर्श कारागार, लखनऊ, नारी बन्दी निकेतन तथा सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान को शहर से बाहर स्थानान्तरित कर नवीन कारागार तथा अन्य कारागारों में अवस्थापना विकास हेतु साठ करोड़ रुपये (60 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कारागार विहीन जनपदों, जैसे हाथरस, चित्रकूट, संत रविदासनगर, गौतमबुद्ध नगर, कुशीनगर, संत कबीरनगर, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, महोबा, औरैया, चन्दौली तथा ज्योतिबाफूले नगर आदि में जिला कारागारों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

**न्याय प्रशासन**

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 16 नये न्यायालयों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए उपायों को सुझाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

**राजस्व**

वर्तमान वर्ष में भयंकर बाढ़ एवं सूखे की स्थिति से निपटने हेतु विभिन्न जनपदों को सात सौ दस करोड़ रुपये (710 करोड़ रुपये) की राशि आवंटित की गई जिसमें से सूखे से प्रभावित बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों तथा विन्ध्याचल मण्डल के दो जनपदों हेतु लगभग तीन सौ सत्तासी करोड़ रुपये (387 करोड़ रुपये) की धनराशि आवंटित की गई है। किसानों के मुख्य देयों की वसूली दिनांक 31 मार्च, 2008 तक स्थगित कर दी गई है।

मण्डल/जनपद/तहसीलों में भवन निर्माण कार्यों हेतु लगभग एक सौ छियासठ करोड़ रुपये (166 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

**2008-2009 के बजट अनुमान**

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

**प्राप्तियां**

- वर्ष 2008-2009 में एक लाख दस हजार आठ सौ सत्ताईस करोड़ सत्तासी लाख रुपये (110827.87 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में पचासी हजार आठ सौ छः करोड़ पैंतीस लाख रुपये (85806.35 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा पच्चीस हजार इक्कीस करोड़ बावन लाख रुपये (25021.52 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2008-2009 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश सड़सठ हजार उन्नीस करोड़ दस लाख रुपये (67019.10 करोड़ रुपये) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश चौंतीस हजार सात सौ छः करोड़ दस लाख रुपये (34706.10 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

**व्यय**

- वर्ष 2008-2009 में कुल व्यय एक लाख बारह हजार चार सौ बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख रुपये (112472.72 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

- कुल व्यय में चौहत्तर हजार आठ सौ अट्ठाईस करोड़ सड़सठ लाख रुपये (74828.67 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा सैंतीस हजार छः सौ चौवालीस करोड़ पांच लाख रुपये (37644.05 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है।
- वर्ष 2008-2009 के बजट में अड़तीस हजार पांच सौ अड़सठ करोड़ पैंतीस लाख रुपये (38568.35 करोड़ रुपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित है।

**समेकित निधि**

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2008-2009 में घाटा एक हजार छः सौ चौवालिस करोड़ पचासी लाख रुपये (1644.85 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

**लोक लेखे से समायोजन**

वर्ष 2008-2009 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये तीन हजार चार सौ पचहत्तर करोड़ साठ लाख रुपये (3475.60 करोड़ रुपये) लोक लेखे से समायोजित किये जायेंगे।

**समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम**

वर्ष 2008-2009 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम एक हजार आठ सौ तीस करोड़ पचहत्तर लाख रुपये (1830.75 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

**अन्तिम शेष**

वर्ष 2008-2009 में प्रारम्भिक शेष तीन हजार तीन सौ चौंसठ करोड़ तीस लाख रुपये (3364.30 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष पांच हजार एक सौ पंचानवे करोड़ पांच लाख रुपये (5195.05 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है।

मान्यवर, मैं माननीया मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके कृपापूर्ण मार्गदर्शन में बजट तैयार किया गया।

मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं प्रमुख सचिव, वित्त श्री शेखर अग्रवाल और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2008-2009 का प्रदेश का बजट एवं दो मास का लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

(श्री लालजी वर्मा द्वारा बजट भाषण समाप्त करने पर सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

**वित्तीय वर्ष 2008-2009 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण**

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2008-2009 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जायें।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-3 में कुछ नहीं है।

**जनपद महामायानगर (हाथरस) के राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर एतमादपुर से मथुरा वाया रुदौली-मई, नयाबाग, बल्देव मार्ग का आगरा महानगर के उत्तरी बाईपास के रूप में विकसित कराये जाने विषयक श्री गिरधारी लाल गोयल आदि निवासीगण जनपद महामायानगर (हाथरस) द्वारा की हस्ताक्षरित याचिका †**

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 डा0 अनिल चौधरी जी, याचिका उपस्थित करें।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं जनपद महामायानगर (हाथरस) के राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर एतमादपुर से मथुरा वाया रुदौली-मई, नयाबाग, बल्देव मार्ग का आगरा महानगर के उत्तरी बाईपास के रूप में विकसित कराये जाने विषयक श्री गिरधारी लाल गोयल तथा श्री सीताराम निषाद निवासीगण जनपद महामायानगर (हाथरस) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

**जनपद महामायानगर (हाथरस) के कस्बा सादाबाद में विज्ञान, कला व वाणिज्य संकाययुक्त राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराये जाने विषयक डा0 कालीचरन सिंह आदि निवासीगण जनपद महामायानगर (हाथरस) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †**

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं जनपद महामायानगर (हाथरस) के कस्बा सादाबाद में विज्ञान, कला व वाणिज्य संकाययुक्त राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराये जाने विषयक डा0 कालीचरन सिंह तथा श्री अशोक कुमार वार्ष्णेय, निवासीगण जनपद महामायानगर (हाथरस) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

## नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 फरवरी, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की है वह उपस्थित हैं। यह सूचना मेरठ जनपद के विक्टोरिया पार्क में कन्ज्यूमर मेले में लगी आग से गम्भीर रूप में घायलों के इलाज पर प्राइवेट अस्पताल में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की है वह उपस्थित नहीं हैं। तीसरी सूचना डा0 अजय तोमर की है वह उपस्थित हैं। यह सूचना जनपद बागपत के मुख्य क्षतिग्रस्त मार्ग बड़ौत अमीरनगर सराय का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराते हुए हाट मिक्स प्लान्ट से निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की है वह उपस्थित नहीं हैं। पांचवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की है वह उपस्थित नहीं हैं। छठी सूचना डा0 अनिल चौधरी की है वह उपस्थित हैं। यह सूचना जनपद महामायानगर (हाथरस) की तहसील सादाबाद में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति एवं कतिपय अन्य क्षेत्र में 33/11 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है वह उपस्थित हैं। यह शाहजहांपुर के ग्राम नुसरतपुर बॉडी का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी कोटा पड़ोस के ग्राम की दुकान से सम्बद्ध होने से ग्रामवासियों को हो रही परेशानी का निदान करने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की है वह उपस्थित नहीं हैं।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

### मेरठ जनपद के विक्टोरिया पार्क में कंज्यूमर मेले में लगी आग से गम्भीर रूप से घायलों के इलाज पर प्राइवेट अस्पताल में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति करने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

महोदय,

[ मेरठ जनपद के विक्टोरिया पार्क में कंज्यूमर मेले में आग लगी थी जिसमें लगभग 70 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी। लगभग 50 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उस समय घोषणा की गयी थी कि घायलों का इलाज सरकार पूर्ण स्वस्थ होने तक मुफ्त करायेगी। लेकिन घायलों का इलाज बीच में रोक दिया गया है। जिसके कारण गरीब परिवार संकट में हैं तथा घायलों का इलाज जिन प्राइवेट अस्पतालों द्वारा किया गया था उनका एक करोड़ छप्पन लाख रुपया सरकार पर बकाया है। जिसकी संस्तुति

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा शासन को भुगतान हेतु भेजी गयी है लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ है। जिसके कारण सरकार की छवि खराब हो रही है। कभी दोबारा ऐसी घटना किसी जनपद में घटी तो प्राइवेट अस्पताल सरकार का विश्वास कैसे करेंगे ?

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**जनपद बागपत के मुख्य क्षतिग्रस्त मार्ग बड़ौत अमीननगर सराय का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराते हुये हाट मिक्स प्लान्ट से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*डा0 अजय तोमर-

महोदय-

[जनपद बागपत के मुख्य मार्ग बड़ौत अमीन नगर सराय मार्ग बहुत ही जर्जर है मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हैं मार्ग के दोनों ओर खड़न्जा व मिट्टी पूर्णतया टूट चुकी है। मार्ग की खराब स्थिति के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं इस मार्ग का यातायात का घनत्व बहुत अधिक है इस मार्ग पर चीनी मिल मलकपुर, किनौनी, बागपत दौराला को गन्ने से भरे ट्रक, ट्रैक्टर ट्राली, भैसा बुग्गी के साथ दैनिक के वाहनों के रूप में सैकड़ों स्कूल की बसें/कार, निजी वाहन यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के कारण इस मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराते हुए हाटमिक्स प्लांट से निर्माण कराना अति आवश्यक है। यह मार्ग जनपद बागपत के मुख्य उपनगर बड़ौत को मण्डल मुख्यालय मेरठ से जोड़ता है तथा इसी मार्ग के द्वारा बड़ौत होते हुए जिला मुख्यालय जाने का एक मात्र मार्ग है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर जनपद बागपत के बड़ौत अमीन नगर सराय मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ हाटमिक्स से निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं।]

**जनपद महामाया नगर (हाथरस) की तहसील सादाबाद में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति एवं कतिपय अन्य क्षेत्र में 33/11 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*डा0 अनिल चौधरी-

महोदय-

[जनपद हाथरस का सादाबाद तहसील पूर्णरूपेण ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ताज ट्रिपोजियम जोन में अबाध विद्युत आपूर्ति होना आवश्यक है।

सादाबाद तहसील के कुछ ग्रामों व अधिकतर मजरों में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इस तहसील के अधिकतर 33/11 विद्युत सब स्टेशन अतिभारित हैं। फूलपुर, लालगढ़ी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जुगसना, मढाका जैसे लम्बे पोषकों के कारण विद्युतीकृत ग्रामों में भी विद्युत सप्लाई सुचारु रूप से नहीं हो पाती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद को 24 घण्टे विद्युत सप्लाई दिलाने हेतु समस्त ग्राम व मजरों का विद्युतीकरण, लम्बे पोषकों का विभाजन कर नये पोषकों का निर्माण, पुराने 33/11 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि व ग्राम नानऊ, अभयपुरा अथवा मिढावली में नये 33/11 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण की शासन से मांग करता हूं।]

**शाहजहांपुर के ग्राम नुसरतपुर बांडी का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी कोटा पड़ोस के ग्राम की दुकान से सम्बद्ध होने से ग्रामवासियों को हो रही परेशानी का निदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर,

[ शाहजहांपुर की तहसील सदर ब्लाक भावल खेड़ा के ग्राम नुसरतपुर बांडी गांव का सार्वजनिक वितरण के अन्तर्गत सरकारी कोटा पड़ोस के ग्राम की दुकान पर सम्बद्ध कर दिया गया है। जब से कोटा ग्राम से हटा है तब से गरीब व निर्बल वर्ग के लोगों को कोटे का सामान, मिट्टी का तेल आदि नहीं मिलता है। ग्राम के लोगों ने सामान न मिलने की शिकायत सक्षम अधिकारियों को की परन्तु कोटे का सामान नहीं मिला। ग्राम के ही मुबारक अली पुत्र आशिक अली, इश्तियाक खां पुत्र कल्लू खां, उवेरू खां पुत्र अमजद खां, खालिद खां पुत्र हामिद हुसैन, अलीशेर पुत्र वलीशेर आदि ने सम्बन्धित अधिकारियों से शिकायत की परन्तु न मिट्टी का तेल मिला न ही शिकायत कर्ताओं का समाधान किया गया।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि शिकायतकर्ताओं व गांव के अन्य लोगों को मिट्टी का तेल सरकारी कोटे का दिलाया जाये तथा इस सम्बन्ध में दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जावे।]

**औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 फरवरी, 2008 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 05 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को नियम 301 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं स्वीकृत "शाहजहांपुर जिला अस्पताल में बैकलॉग को पूर्ण कराने हेतु समूह 'घ' के अन्तर्गत सीधी भर्ती" विषयक सूचना का उत्तर न प्राप्त होने के सम्बन्ध में है, यह सूचना सुनी जायेगी। दूसरी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल व श्री अम्बिका चौधरी की माननीय

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गन्ना विकास मंत्री द्वारा सदन में की गई घोषणा के बावजूद गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान न करने एवं मिल मालिकों की मिलीभगत से गन्ने का मूल्य कम किये जाने के सम्बन्ध में है, यह सूचना सुनी जायेगी। तीसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की नगरीय विधान सभाओं के लिये 225 हैण्डपम्प माननीय विधायकों की संस्तुति पर लगाने की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बावजूद धनराशि जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है, सुनी जायेगी। चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में माननीय सदस्यों को प्राप्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में है, सुनी जायेगी। पांचवीं सूचना श्री कौकब हमीद, डा0 अनिल चौधरी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री अब्दुल वारिस खां एवं डा0 अजय तोमर की बागपत में दिनांक 26 जनवरी, 2008 को अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ मामूली कहासुनी के बाद हाजी इश्तियाक के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा रासुका तामील किये जाने के सम्बन्ध में है, इसमें बात हो चुकी है, यह सूचना सुनी नहीं जायेगी।

**दिनांक 4-12-2007 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर नियमानुसार एक माह के अन्दर न दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न**

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम-300 के अन्तर्गत मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय को लाया हूं। इस सदन में पहले भी आपकी पीठ से निर्देश होते रहे हैं और बराबर उसका पालन भी होता रहा है। लेकिन पिछले 6 महीने से कई बार यह बात आपके संज्ञान में आई और व्यक्तिगत रूप से भी लायी गयी है कि नियम-301 के अन्तर्गत जो सूचनाएं चयनित होती हैं, उसके लिये नियमों में यह व्यवस्था है कि एक महीने के अन्दर विभाग की ओर से उसका जवाब मिलना चाहिए लेकिन वह नहीं मिलता। दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 को हमारी एक सूचना आपके माध्यम से चयनित की गयी थी, उसका उत्तर हमको 4 जनवरी, 2008 तक मिलना चाहिए था, मैंने विधान सभा सचिवालय को भी इस सम्बन्ध में लिखकर दिया लेकिन मान्यवर, उसका उत्तर हमको आज तक नहीं मिला। मान्यवर, जब सूचना चयनित की गयी तो यह हमारा अधिकार बनता है कि एक महीने के अन्दर जो भी उसका उत्तर है, वह हमको दिया जाय। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और अपने औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं और आपकी पीठ से व्यवस्था चाहता हूं कि आप यह व्यवस्था दें कि जो अधिकारी और मंत्री हैं, वह इस बात की जरूर चिन्ता करें कि जो नियमों में व्यवस्था है, वह व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो। वरना हमारे यहां पर आने का, बैठने का, सूचना देने का और उस पर बोलने का मान्यवर, कोई अर्थ नहीं रह जाता।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, हम इसको दिखवा लेंगे कि किन परिस्थितियों में इसका उत्तर नहीं आया है। माननीय खन्ना जी को इसका उत्तर/जानकारी दिलवायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह विषय कई बार सदन में आ चुका है। यह देख लीजिए कि किन परिस्थितियों में उत्तर नहीं आया है। हम यह चाहते हैं कि निर्धारित समय के अन्दर सूचना का उत्तर अवश्य उपलब्ध हो। अगर नहीं आता है तो यह अच्छा विषय नहीं है, मैं चाहता हूं कि इस पर आप कड़ाई से काम करें, इस तरह नहीं होना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

जी मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य है।

(अगली सूचना के सूचनाकर्ता माननीय श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा श्री अम्बिका चौधरी जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सारी समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं रह गया है। इतना अच्छा बजट सरकार द्वारा आज प्रस्तुत हुआ है। न तो इनके पास किसानों के लिये कुछ कहने को रह गया है, न मजदूरों के लिये कुछ रह गया है और न प्रदेश की आम जनता के लिये कुछ कहने को रह गया है इसलिये इन सभी लोगों ने सदन से बहिष्कार किया है।

**नगरीय विधान सभाओं के लिये 225 हैण्डपम्प मा0 विधायकों की संस्तुति पर लगाने की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के बावजूद धनराशि जारी न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न**

(मा0 अध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्य श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, जो है उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ कहना भी चाहतें हैं?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवार, कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, आप अग्रवाल साहब की सूचना को दिखवा लें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, ठीक है।

**उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 में मा0 सदस्यों को प्राप्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा सुरक्षा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

* श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त संवेदनशील और सदन की गरिमा से जुड़े प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, विधान सभा इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा भारतवर्ष की सबसे बड़ी विधान सभा है और यह केवल संख्या के आधार पर ही नहीं बल्कि परम्पराओं और गरिमा के आधार पर भी यह सबसे बड़ी विधान सभा है। मान्यवर, किसी संस्था की गरिमा, किसी संस्था की प्रतिष्ठा एक दिन में नहीं बनती है बल्कि वह परम्पराओं से बनती है, अपने कार्यों से बनती है तथा अपने बनाये गये वसूलों से बनती है और जो बातें वह छोड़ जाती है वह दूसरों के लिए अनुकरणीय हो जाती हैं। मान्यवर, कहीं भी जीवन सहज नहीं होता है, जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। विधान सभा की कार्यशैली में मैंने बहुत से गौरवशाली क्षण भी देखे हैं और कभी-कभी अवसादपूर्ण क्षण भी देखे हैं। जिनके बारे में यही कहा जा सकता है कि अगर यह न होता तो अच्छा होता। मान्यवर दोनों तरह के उदाहरण, दोनों तरह के दृष्टांत उपस्थित हैं। लेकिन उस समय इस सदन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर ऐसा हो जाये तो भविष्य के लिए हम कौन सा कदम उठायें और किस तरह से अपनी गरिमा की रक्षा करें। मैं बहुत ही चिन्तित, दुःखी और वेदना के साथ इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर जल्दबाजी में निर्णय न लिया जाये, दलीय आधार पर निर्णय न लिया जाये बल्कि उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाये ताकि आने वाले दिनों में गौरवशाली गाथा बनी रहे, इसलिए मैं इस पर निर्णय लेने के लिए पुनर्विचार करने का आपसे आग्रह करूंगा।

मान्यवर, मेरा विषय महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कुछ घटित घटनाओं की ओर है। मान्यवर, मेरा दल बहुत सी ऐसी परम्पराओं में विश्वास नहीं करता जो होती है लेकिन बहुत से राजनीतिक दल विश्वास कर सकते हैं। मान्यवर, बहुत सी घटनायें जो उस दिन घटित हुई वह न होती तो अच्छा होता। मान्यवर, विरोध प्रदर्शन के बहुत रूप होते हैं लेकिन विरोध प्रदर्शन के तरीके का चयन स्थल के हिसाब से करना होता है। मान्यवर, क्या हमारी भाषा में, हमारी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने संसदीय कौशल के सहारे विरोध प्रदर्शन कर सकें। विरोध प्रदर्शन के लिए हम खड़े होकर भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी वाणी को तेज करके अपनी आवाज को तेज करके भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत सी अवसादपूर्ण परिस्थितियां आ जाती हैं तो हमें सदन के वेल में भी जाना पड़ता है। मान्यवर, मेरा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दल इससे अलग है, हम इस पर विश्वास नहीं करते। हमारा दल ज्यादा समय सत्तापक्ष में बैठा है, हम विपक्ष में भी बैठे हैं पर हम इसका पालन करते रहे हैं। मान्यवर, उस दिन कुछ ऐसी घटनायें हुई, मैं स्वयं महसूस करता हूं कि ऐसी घटनाओं को नहीं होना चाहिए और मैं ऐसी घटनाओं की वकालत भी नहीं करता और मैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं चाहता। विरोध प्रदर्शन मान्यवर, एक सीमा के अन्दर, संयम के अंदर एक स्थल के अनुसार उचित होता है। उस दिन भी विरोध अगर एक संयम के अनुसार होता तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन मैं अपने दल की जिम्मेदारी ले सकता हूं, दूसरे दलों की बात नहीं कर सकता। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, कि यदि ऐसा न किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मान्यवर, उसी समय आपका भी रोष स्वाभाविक है, आपने भी एक निर्देश दे दिया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो सम्मानित सदस्यों की तलाशी होगी। मान्यवर, एक बहुत ही साधारण सी बात आप कह गये। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत ही असाधारण होगा, शायद यह देश के इतिहास में पहली विधान सभा बन जायेगी जहाँ के सदस्यों को तलाशी देकर आपके इस सम्मानित सदन में आना पड़ेगा। व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती है, प्रतिष्ठा संस्था की, सदन की होती है। क्या सन्देश जायेगा वहाँ कि विधान सभा के सदस्य, आज किसी की भी गलती के कारण, किन्ही भी परस्थितियों में, हमारे प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, 16-17 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि विधान सभा में तलाशी दे करके जायेंगे? क्या हम एक साधारण अपराधी होंगे जो न्यायालय में जायेंगे और उसके पहले हमारी तलाशी होगी? हम यहाँ अपनी बात कहने आयेंगे और मान्यवर, आपने बहुत ही कृपापूर्वक कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो तलाशी ली जायेगी, लेकिन कुछ समाचार-पत्रों ने बढ़ा-चढ़ाकर छापा। मान्यवर, बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या विधायिका की गरिमा यही रह गयी है, क्या आपका विश्वास यही रह गया है? मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं उन घटनाओं को जो घटित हुई हैं, मै उनका पैरोकार नहीं हूं, बल्कि मैं उनको उचित नहीं मानता हूं। लेकिन इस बात को भी उचित नहीं मानता कि विधान सभा सदस्यों की किसी भी स्तर पर, गरिमा पर चोट पहुंचे और विधान सभा के सदस्यों का सम्मान अगर आपने नहीं किया तो बाहर हमारा सम्मान कौन करेगा ? आपने अगर कहीं कोई ऐसा निर्णय ले लिया, मैं समझ सकता हूं आपके व्यथित मन से निकली हुई उस भावना को समझ सकता हूं लेकिन बड़ा वही होता है जो परिस्थितियों के अनुसार कार्य करे और संयम बरते। मान लो कहीं से गलती हो रही हो लेकिन ऐसी प्रथा न डाल दीजिएगा कि ऐसी परम्परा बन जाए कि आने वाले दिनों में हम स्वयं शर्मिन्दगी महसूस करें। मेरा आज विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध है, आग्रह है, और मैं अगर कहूं कि मेरी विनती है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि किन्हीं भी परिस्थितियों में सम्मानित सदन में प्रवेश लेते समय, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके अधीन रहने वाले मार्शल और उनके कर्मचारियों की रहेगी, इसमें बाहर के लोग नहीं बुलाये जायेंगे, और दूसरी बात किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी सदस्य की तलाशी नहीं होगी। मान्यवर, अगर कोई सदस्य

अपराधजनित कोई काम करता है तो मैं उसका पैरोकार नहीं हूं। अपराधी की न कोई जाति होती है, न धर्म होता है, न पद होता है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन विधान सभा सदस्य की तलाशी ली जायेगी विधान सभा में आने से पहले, यह अटपटा सा लगता है और मैं इसे विधान सभा की गरिमा के खिलाफ मानता हूं, विधान सभा की गौरवशाली परम्परा पर एक कलंक मानता हूं और मैं चाहता हूं कि इस कलंक को जितनी जल्दी धो दिया जाए उतना अच्छा होगा। मान्यवर, मैं बहुत व्यथित मन से, दुखी मन से इस सदन की गौरवशाली गरिमा की रक्षा कहते हुए एक बात कहना चाहता हूं, अंग्रेजी की एक कहावत है कहने का अवसर मुझे दिया जायेगा उसका तर्जुमा सभी को मालूम है 'फारगेट एण्ड फॉरगिव' भी एक चीज होती है। हमें भूल जाना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए और नये अध्याय का सृजन करना चाहिए, इसे हिन्दी में मैं कह सकता हूं कि 'आओ भूल जायें', विस्मृत कर दें और सबक सीखें। भविष्य में हमसे भी कोई ऐसी बात न हो और भविष्य में आप भी अपना निर्देश वापस ले लें। मैं आपसे इतनी सी प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं और सरकार से भी यही चाहूंगा कि वह उदारता दिखायें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सरकार भी सदन की गरिमा के लिए चिन्तित है और हमारा भी यही मानना है कि सदन की गरिमा हम सब लोगों की मिलकर जिम्मेदारी है कि इसको बनाये रखने का काम करें। मान्यवर, दिनांक 8 फरवरी, 2008 को जो घटना हुई, बहुत से सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया था कि इस तरह से गैस भरे गुब्बारे उड़ाने का काम किया गया, वह उचित नहीं है और साथ ही साथ ऐसा लगने लगा था, उस समय जैसे कुछ दग रहा है। अब इन परिस्थितियों में आपको पूरा अधिकार है कि जो भी आप निर्णय लेना चाहें, यह आपके विवेक का विषय है, आपका जो निर्देश होगा हम सब लोग मिलकर उसका पालन करेंगे। जहां तक औचित्य का प्रश्न माननीय तिवारी जी ने उठाया है यह कोई तात्कालिक नहीं है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है सबको मिलकर सदन की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का हम सब लोग मिलकर अक्षरशः पालन करें तभी सदन और संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होगी। इन परिप्रेक्ष्य में जो भी आपका निर्णय होगा, शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने माननीय प्रमोद तिवारी जी और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह विश्वास दिला रहा हूं कि पूरे सम्मानित सदन की सुरक्षा और सम्मान के संदर्भ में अगर कहीं भी कोई भी निर्णय या व्यवस्थाएं लागू करनी है तो मैं सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित करता हूं। मैंने जो भी निर्णय दिया था कि सदन और सदन के सदस्य दोनों सम्मानित रहें और सुरक्षित रहें। आज की परिस्थितियों में कभी-कभी सब कुछ तैयारियों के बाद भी अनहोनी हो रही है चाहे संसद हो या धार्मिक स्थलों तक कुछ घटनाएं घट जा रही हैं उसमें

हमारा यह मंडप सुरक्षित और सम्मानित रहे। मैंने पहले भी कहा है उसे फिर दोहरा रहा हूं कि मैं पहले विधायक हूं उसके बाद विधान सभा अध्यक्ष हूं। किसी भी सम्मानित सदस्य चाहे वह किसी पक्ष के हों, के सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी। जितना भी झुकना पड़ेगा उनके सम्मान के लिए झुक सकता हूं। इस सदन के सम्मान को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मुझको जितना झुकाया जाय मैं झुकूंगा। मैंने पहले भी व्यवस्था दी थी कि विशेष परिस्थितियों में तलाशी ली जा सकती है। इसके लिए मैंने अति आवश्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आ जायं तो ली जा सकती है। इसके बाद मैंने पुनः निर्देश दिया कि सदस्यों का सम्मान होना चाहिए। परिसर में प्रवेश करते समय किसी तरह से उनको यह आभास न हो कि उनके साथ कोई अपमानजनक बात हुई या कार्यवाही हुई। मैं तिवारी जी और पूरे सदन को विश्वास दिला रहा हूं कि मैं अपने समय में संसदीय परम्पराओं, आदर्शों और जो हमारी गरिमा रही है उसके अनुरूप किसी सदस्य का कहीं भी अपमान नहीं होने दूंगा। सदन में पूर्व में भी कभी-कभी कुछ विषय आए हैं जिस पर सभी दलों के लोगों ने बैठकर निर्णय लिया है मैं पुनः आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि सदन की सुरक्षा और सम्मान के लिए जो भी सुझाव देंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। पूर्व में भी कुछ बड़े फैसले हुए हैं और उन पर पुनर्विचार भी हुआ हैं मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं अगर आपको किसी फैसले से ठेस पहुंची हो तो सभी दलों के नेतागण बैठ लें और कोई ऐसा फैसला ले लें जिससे सदन की सुरक्षा और सम्मान के साथ उसकी गरिमा भी बनी रहे। मैं सबसे पहले झुकने के लिए तैयार हूं। मैं पुनः सबको आमंत्रित करता हूं आप सभी दल के नेतागण बैठ लें। यह परिवार का मसला है। हमारे सम्मान के साथ-साथ सदन के सुरक्षा की बात है लेकिन जिस तरह से आचरण हुआ है इसको आपने कहा है। सदन के अन्दर गुब्बारे फोड़े जाएं और इतनी तेज आवाज हो जिससे लगे कि किसी चौराहे पर कोई जश्न मनाया जा रहा हो। इस मण्डप के अन्दर जिस तरह का आचरण पेश किया गया उससे थोड़ा दुख अवश्य हुआ और इस पर सबको दुखी होना चाहिए कभी-कभी हानि एक तिनके से हो जाती है। जिन सैकड़ों गुब्बारों में गैस भरी थी। कुछ भी हो सकता था। मैं इस आचरण से दुःखी था। सदन में पहले भी प्रदर्शन हुए हैं। हमने भी किये हैं, आपने भी किये हैं, सबने झंडे बैनर सबने दिखाये हैं लेकिन इस तरह का आचरण किसी ने नहीं किया है। इस तरह का जो आचरण यहां पर किया गया इससे मुझे ठेस पहुंची थी। इस तरह का आचरण सदन में नहीं होना चाहिए। सदन में वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह जी बैठे हैं, तिवारी जी, कौकब साहब आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं और काफी लम्बे समय से सदन के सम्मान को आपने संजो के रखा है और आगे भी रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस तरह के आचरण की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुनः आपके सम्मान में और सदन के सम्मान में जो बात कहनी हो उसके लिये बैठ लें मैं उसके लिये सहमत हूं।

मद संख्या-5, 6, 7 में कुछ नहीं है।

## श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 08 फरवरी, 2008 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय बहिन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है तब से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की अवधारणा इस प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सामने की जो बेंच खाली है उनके बारे में मुझे केवल एक लाइन कहनी है कि उड़ान वालों उड़ानों के वक्त भारी हैं, अब हेकड़ी की नहीं हौसलों की बारी है। मान्यवर, बहुजन समाज में जन्मे संत, महात्मा, धर्मगुरूओं का और महापुरूषों का लक्ष्य मानवतावादी समतामूलक समाज की स्थापना रही है। यहां पर मैं यह एहसास कराना चाहता हूं इस सम्मानित सदन को कि इसका सिलसिलेवार संचालन भी कुदरत के द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, जब हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं जब उनको शिक्षा से वंचित करके पशुओं जैसी जिन्दगी जीने पर मजबूर किया जा रहा था तो उसी समय में 20 फरवरी, 1827 को महात्मा ज्योतिबाफूले का जन्म हुआ जिन्होंने शिक्षा के जगत में बहुजन समाज के लिये ज्योति जलाई। मान्यवर, शिक्षा की ज्योति जलाकर यह 27 नवम्बर, 1890 को इस दुनिया से चले गये। मान्यवर, देखिये किस तरह से कुदरत का संचालन कि 27 नवम्बर, 1890 में महात्मा ज्योतिबाफूले इस दुनिया से चले गये तो मान्यवर, ध्यान देंगे कि 1890 में उनका देहान्त होता है और 14 अप्रैल, 1891 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हो गया। शिक्षा का कानूनी अधिकार देने के लिये वे इस धरती पर अवतरित हो गये। इसके बाद 6 दिसम्बर, 1956 को इस देश में भारत के संविधान के माध्यम से, हमें वो ताकत देकर जाते हैं जिसके माध्यम से वोटों के माध्यम से आज हम इस सदन में खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं। मान्यवर, यह चिराग बुझने न पाये, यह मिशन झुकने न पाये, इससे पहले ही इस देश में 15 जनवरी, 1956 को हमारी नेता, इस सदन की नेता, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहिन कुमारी मायावती इस दुनिया में आ चुकी थीं।

मान्यवर, अब हमारे विपक्ष के साथी कह सकते हैं कि माननीय कांशीराम जी का क्या कार्य बचा है। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सतत् प्रयास से और छत्रपति साहूजी महाराज के द्वारा 26 जुलाई, 1902 को आरक्षण की व्यवस्था जब पहली बार लागू हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे सुरक्षित करने के लिए और बल प्रदान करने के लिए, अंग्रेजों के समक्ष गोलमेज सम्मेलन में काफी गम्भीरता से अपनी बातों को रखा जिससे प्रभावित

होकर के तत्कालीन प्रधान मंत्री रैमजे मैकडालन के द्वारा जब 20 अगस्त, 1932 को कर्नल एवार्ड घोषित किया गया तो पूना की यरावदा जेल में, इस देश के बापू जी महात्मा गांधी जी ने 20 सितम्बर, 1932 को यरावदा जेल में, जब आमरण अनशन किया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 24 सितम्बर, 1932 को पूना पैक्ट करना पड़ा तब कुदरत ने दर्द महसूस किया कि जब इस देश में कमजोर लोग भाईचारे के आधार पर अपनी ताकत को बढ़ाकर, इंसान और इंसानियत की जिंदगी को जीने की पहल करते हैं तो तमाम विरोधी ताकतें एक होकर उनको हराने का प्रयास करती हैं तो कुदरत ने उस पूना पैक्ट को आधार मानकर कमजोर लोगों को अधिकारयुक्त करने के लिए, माननीय श्री कांशीराम साहब को 15 मार्च, 1924 को इस दुनिया में भेजा। इसलिए मान्यवर मेरा यह कहना है इस सदन के माध्यम से, यह जो बहुजन मिशन चल रहा है इसे सारी विरोधी ताकतें अगर झुकाने की कोशिश करें तो भी यह कामयाब नहीं हो सकती हैं। इसलिए कामयाब नहीं हो सकती हैं क्योंकि यह इंसानियत पंसद है और कुदरत के माध्यम से चल रहा है इसलिए मेरा कहना है कि-

हवा जब बुझाया करती है घरों का चिराग,
तो हमें रोशनी देती है मकबरे का चिराग,
टिका न वक्त के मीनार पर चिराग कोई,
न जाने बुझ गए कितने सिकन्दरों के चिराग।।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं जब बहन कुमारी मायावती की सरकार पूरे प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित करने में लगी है पूरे प्रदेश में गुंडई का राज्य खत्म हो चुका है तो ऐसे दल और ऐसे व्यक्ति जो गुन्डे और गुन्डाराज का समर्थन करते हैं, प्रदेश में जब उनकी गुंडई खत्म हो चुकी है तो सदन को गुंडई का एक माध्यम बनाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। महामहिम राज्यपाल जी 8 फरवरी, को जब इस सदन में आए हमारी बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश में भाईचारे के आधार पर समाज को जोड़ने में लगी हैं, सदन उससे अछूता न रहे यह सदन गवाह है काफी लम्बे अरसे के बाद नेता सदन ने नेता प्रतिपक्ष का अभिवादन किया। इसलिए अभिवादन किया जब भाईचारे का माहौल जब हम पूरे देश में बनाने पर लगे हैं तो इस सदन में भाईचारे का माहौल बनता नजर आना चाहिए लेकिन उनका यह प्रयास कुछ क्षण कुछ पल में मिटता हुआ सिमटता हुआ नजर आया। मिट्टी में मिलता हुआ नजर आया। गुंडई राज्य को स्थापित करने वाले दल और नेता हाथों में गैस भरे गुब्बारे लाए यह केवल इस बात के लिए नहीं लाए हम तो यह कह सकते हैं कि इन्होंने आतंकवादियों को ट्रेनिंग का माध्यम बनाया सूत्र दिया कि कोई भी आतंकवादी किसी भी सदन में, आज वैज्ञानिक युग में किसी का क्लोन बनाकर सदन में आना कुछ मुश्किल बात नहीं है। यह लोकसभा में हो चुका है। शत्रुघन सिन्हा जी का डुप्लीकेट लोकसभा में पहुंच चुका था। अब कोई भी सदस्य का कोई क्लोन बनाएगा अपने साथ घातक गैस लाएगा कभी भी इस विधान सभा को उड़ा देगा, लोक सभा को उड़ा सकता है यह

ट्रेनिंग दी इस दल के लोगों ने, जिससे इस सदन का सिर इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में झुका है। मैं इस कृत्य की घोर-घोर निन्दा करता हूं और इस सदन से भी अपेक्षा करता हूं कि इस निन्दनीय कार्य की निन्दा करें। लेकिन विपक्षी दल के साथी कह सकते हैं कहां गया आपका कानून का राज्य, कहां आपका गुप्तचर ब्यूरो, हमें पकड़ नहीं सका हमें तलाश नहीं कर सका। दुख तो आज इसी बात का है कि आज आतंकवाद हमारे देश और प्रदेश में ही नहीं, हमारे घरों में, ही नहीं बल्कि हमारे भाई-बच्चों की शक्ल में आसपास बैठा नजर आ रहा है। हमें अब दलों से ऊपर उठकर इस आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। आज जब बहन कु0 मायावती जी का कानून का राज स्थापित होता नजर आ रहा है, जिसका महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है और कानून के राज के माध्यम से इस प्रदेश में अपराधों में कमी आयी है। आप देखेंगे कि महामहिम श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि डकैती में 22 प्रतिशत, लूट में 43.3 प्रतिशत, हत्या में 19.1 प्रतिशत, बलवा में 20.7 प्रतिशत, गृह भेदन में 11 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 25 प्रतिशत वाहन चोरी में 12.6 प्रतिशत, कुल चोरी में 13.5 प्रतिशत, फिरौती के लिए अपहरण में 42.3 प्रतिशत, अन्य अपहरण में 3.3 प्रतिशत, दहेज हत्या में 5.7 प्रतिशत तथा बलात्कार में 13.3 प्रतिशत की कमी आयी है। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार में फिरौती और अपहरण एक उद्योग-धन्धा बन गया था, समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के मुख्य मंत्री बनते ही कानून का राज स्थापित होने के कारण फिरौती और अपहरण की घटनाओं में 42.3 प्रतिशत की कमी आयी है। मैं बहन कुमारी मायावती जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने जो कानून का राज स्थापित किया है, उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। ''आइना तोड़ने वाले तुझे यह ध्यान रहे, अक्स तेरी भी बंट जायेगी, कई हिस्सों में।'' मान्यवर, बुन्देलखण्ड लगभग 4 वर्षों से सूखे से प्रभावित है और जब बुन्देलखण्ड चार वर्षों से सूखे से प्रभावित है तो केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज मांगने के बाद भी एक फूटी कौड़ी न देने के बावजूद भी बहन कु0 मायावती जी ने, हमारी सरकार ने अपने श्रोतों से जो अहैतुक सहायता पूर्ववर्ती सरकार ने 250 रुपये दिया था, उससे चार गुना ज्यादा एक हजार रुपये करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और साथ ही साथ बिना केन्द्र सरकार के सहयोग से 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके बुन्देलखण्ड के विकास को एक राह देने की बहुत बड़ी योजना तैयार की है तथा एक कृषि विश्वविद्यालय दे करके बुन्देलखण्ड का मान-सम्मान बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में, किया है। मान्यवर, इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में पूरे देश में अन्य प्रदेशों से पीछे है तो इसका कारण भी बहुत गहरा है क्योंकि आपको ध्यान है कि देश की आजादी के बाद अधिकांश प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं। चाहे पं0 जवाहर लाल नेहरू रहे हों, चाहे स्व0 लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी रही हों, चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे चन्द्रशेखर जी रहे हों, चाहे

वी0पी0 सिंह रहे हों, जीवित हैं, यह बात साफ है कि देश के अन्य प्रदेशों से यह पिछड़ा प्रदेश है। मान्यवर, मेरा मानना है, निश्चित रूप से इस पर सदन की गम्भीरता होनी चाहिए, केन्द्र सरकार ने प्रदेश का विशेष ध्यान नहीं दिया यदि केन्द्र सरकार ने ध्यान दिया होता तो देश के अन्य प्रदेशों से अधिक विकसित हमारा प्रदेश होता। आज हमारी नेता एवं बहन कु0 मायावती जी इस गहराई और इसकी जड़ को समझकर भाईचारा के आधार पर केन्द्र सरकार को अपने हाथों में लेना इसलिए चाहती हैं, ऐसे अवसर पर कबीर के दोहे याद आते हैं, "चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोय' दो पाटन के बीच में साबूत बचा न कोय" मान्यवर, जो सेंटर में रहेगा, वह बचा रहेगा। चकिया में जो गुल्ली लगी रहती है, उसके पास जो दाना रहता है, वह बचा रहता है, पीसा नहीं जाता, इसलिए सेंटर में जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, आवश्यकता आज बनती हुई नजर आ रही है तो देश के तमाम दल इससे डरे हुए हैं। यह दुःखद विषय है कि जब आज हमारी नेता के लिए देश की खुफिया एजेंसी, खुफिया ब्यूरो पूरे देश में कह रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी की जान को खतरा है लेकिन केंद्र सरकार इस पर कुछ विचार नहीं कर रही है। भारत के संविधान में सैकड़ों संशोधन हुए हैं यदि एक और संशोधन हो जाएगा और बहुजन समाज की मसीहा बहन कुमारी मायावती जी की जान सुरक्षित की जा सकती है तो इसमें केंद्र सरकार का क्या चला जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार और दूसरे दल नहीं चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की जान सुरक्षित हो। बहन कुमारी मायावती जी की ताकत गरीबों के लिए है। वह न किसी बिरादरी के लिए है न किसी धर्म के लिए है बल्कि वह तो गरीबों के लिये है। बहन कुमारी मायावती जी का संकल्प है कि इस देश में गरीबों को सम्मान प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं-अंधेरे में अंधेरों की सियासत खूब जमती है, किसी कीमत पे गुल संघर्ष की कंदील मत करना, जरा सी देर की देरी कहीं महंगी न पड़ जाये, हवा का रुख बदलने में कहीं ढील मत करना।

*श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय श्री राम सागर अकेला जी द्वारा प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जब आज मैं श्री राम सागर अकेला जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो साथ में मैं इस देश की और इस प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसने बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पूर्ण बहुमत में समर्थन देकर गहरे अंधकार में डूबते जा रहे इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण मात्र केवल औपचारिकता नहीं होता है यह एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार के कामकाज और उसकी नीति का दर्पण होता है। यह सरकार की भावनाओं का दर्पण भी है और यह उस सरकार की नीतियों और भविष्य में उससे होने वाले प्रभाव का भी आईना होता है। मुझे प्रसन्नता है कि इस अभिभाषण में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सरकार की नीतियों को स्पष्ट न किया गया हो। किसी भी प्रदेश की सरकार के उसकी नीतियों के कुछ न कुछ मापदण्ड होते हैं उसमें जनजीवन कितना सुरक्षित है, लोगों के मान-सम्मान और जानमाल की सुरक्षा के लिए सरकार कितनी सचेत है, यह इस मापदण्ड में महत्वपूर्ण होता है। बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली सरकार अपने अल्पकाल में ही प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में सफल रही है और लोगों की जान और सम्मान की सुरक्षा करने का काम बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने किया है। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में लुटेरों, डकैतों और माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है। यह सरकार पूरी तरह से जनतंत्र की सरकार है और इसकी शक्ति प्रदेश की जनता है। मान्यवर, 9 माह पूर्व प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी जो जनता की आकांक्षाओं से नहीं स्थापित हुयी थी। उस सरकार का गठन छल, लोभ, भय से कुछ माफिया, पूंजीपतियों के हित साधने के लिए किया गया था। इस गरीब प्रदेश की जनता ने उस दौर को भी देखा है जब इस प्रदेश की राजधानी में मनोरंजन करने के लिए सपा सांसद ने नृत्य प्रस्तुत करने का काम किया था और उस नृत्य की कीमत उस सपा सांसद को 30 लाख रुपये देने का काम किया गया था। एक तरफ सपा सांसद का नृत्य चल रहा था तो दूसरी तरफ प्रदेश की सड़कों पर अपराध का ताण्डव नृत्य चल रहा था। उस ताण्डव नृत्य की कीमत इस प्रदेश की जनता के साथ-साथ इस देश के सभी राजनीतिक दलों ने चुकाने का काम किया है।

मान्यवर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने भी उस दौर में अपने होनहार विधायक राजू पाल को संगम इलाहाबाद की धरती पर खुलेआम गोलियों से बिंधे हुए पाया था, उस दर्द को बहुजन समाज पार्टी ने भी उस दौर में झेलने का काम किया था। मान्यवर, केवल बहुजन समाज पार्टी ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने विधायक श्री कृष्णानन्द राय को गाजीपुर की धरती पर खुलेआम गोलियों से आठ लोगों सहित छलनी होते हुए देखने का काम किया था। मान्यवर, केवल भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही नहीं कांग्रेस ने भी उस दौर में इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में अपने कांग्रेसी नेता भार्गव की पत्नी मेहर भार्गव को सरेशाम गोलियों से बिंधते हुए देखा था श्रीमती मेहर भार्गव का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी पुत्र बधू के साथ हो रही छेड़-छाड़ का विरोध किया था। मान्यवर, इतना ही नहीं कुछ नौजवान लोहियाओं ने तो सरेआम राजधानी में एक सी0ओ0 साहब को जीप की बोनट पर लटका कर उल्टा घुमाया था और उसे लाकर एस0एस0पी0 के सामने पटक देने का काम किया था। मान्यवर, फिरोजाबाद में सत्ताधारी विधायक ने सरेआम एक पुलिस कप्तान को पीटने का काम किया था। क्या-क्या बताऊं मान्यवर। हमें खुशी है कि बहन मायावती जी की सरकार ने इन गुण्डों-माफियाओं की कमर को तोड़ कर प्रदेश में कानून का राज स्थापित

करने का काम किया है। मान्यवर, आप के दोनों ओर ये दो खेमे यूं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में जाने जाते हैं और लोकतंत्र में इनका स्थान भी बदलता रहता है, लेकिन मान्यवर, जो नहीं बदलना चाहिए वह भी आज बदल गया है। मान्यवर, इस बात को यहां पर बैठने वाले लोगों को एहसास होना चाहिए कि उन्हें यहां चुन कर क्यों भेजा गया है ? मान्यवर, सर्वोपरि जनता के दुःख दर्द और उनकी बेहतरी का होना चाहिए लेकिन लगता है मान्यवर, विपक्षी दलों ने इस विधान सभा को मेला स्थल समझ लिया है, इसीलिए तो मान्यवर, कभी काला रेशमी रूमाल ले कर के आते हैं और उसे लहराते हैं तो कभी बड़े होकर भी बच्चों की तरह गुब्बारे लेकर आते हैं और उसे उड़ाने का काम करते हैं। मान्यवर, ऐसी प्रवृत्ति की घोर निन्दा की जानी चाहिए। मान्यवर, अतीत इस बात का गवाह है कि अगर संवैधानिक बाध्यता न होती तो पूर्ववर्ती सरकार अपने रिश्तेदार तथा अपने घर में भाई-भतीजे और बच्चे के बीच में ही पूरे बजट का बन्दर बांट कर लिया होता लेकिन मान्यवर, मुझे खुशी है कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के होंठों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया है। मान्यवर मैं जानता हूं अभी कुछ माननीय सदस्य तमाम कमियों को लेकर खड़े होंगे तमाम आरोप लगायेंगे परन्तु यह तो उनकी आदत बन चुकी है मान्यवर आंखों पर समाजवाद के लम्बरदारों ने ऐसा चश्मा चढ़ा रखा है कि उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं है। मान्यवर, यह कुछ और नहीं एहसान फरामोशी है उस जनता के साथ जिस जनता ने इनको चुन कर यहां भेजने का काम किया था। मान्यवर, क्या जवाब देंगे ये अपने क्षेत्र की महान जनता को जो इनसे पूछेगी कि उत्तर प्रदेश सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में जब आप बैठक करने गये थे, हमारे हितों के लिए आप बैठ करके कार्य योजना बनाने गये थे तो क्यों भाग खड़े हुए ? तो मान्यवर, निश्चितरूप से मैं कह सकता हूं कि इनका सर शर्म से झुक जायेगा, लज्जा से झुक जायेगा जब इनके क्षेत्र की जनता यह पूछेगी कि बहन मायावती जब इस प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए एक अच्छी कार्य योजना बना रही थी तो क्यों आप भाग खड़े हुए तो निश्चितरूप से मान्यवर, इनका सर शर्म से झुक जायेगा। मान्यवर, हमारी सरकार ने मजदूरों के चेहरे पर भी खुशी लाने का काम किया है आप अच्छी तरह जानते हैं मान्यवर, कि न्यूनतम मजदूरी रुपये सौ घोषित करने का काम बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने ही किया है। मान्यवर, विधवाओं और वृद्धों की पेंशन की बात थी, तो उसको भी दोगुनी करने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने विधवाओं और वृद्धाओं के चेहरे पर भी खुशी लाने का काम किया है। मान्यवर, मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में एक ऐसी लोकप्रिय सरकार आई है जिसने सौ दिन में सौ उपलब्धियां करने में सफलता प्राप्त की है। मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहन कुमारी मायावती जी की सरकार प्रदेश में मजदूरों, नौजवानों, किसानों, छात्रों और व्यापारियों की सरकार है, यह प्रदेश के 17 करोड़ लोगों की अपनी सरकार है। मान्यवर, विगत चार वर्षों से बुंदेलखण्ड और विंध्य क्षेत्र

के नौ जनपदों में लगातार सूखा पड़ा है। लेकिन कभी भी पूर्ववर्ती सरकार ने उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का काम नहीं किया है।

मान्यवर, मैं आंकड़ों के आधार पर कहना चाहता हूं कि वर्ष 2005-2006 में वहां के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये पूर्ववर्ती सरकार ने एक करोड़ रुपये खर्च करने का काम किया था। इसी तरह से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2006-2007 में केवल 17 करोड़ रुपये उस 07 बुंदेलखंड के जिलों के लिये तथा 02 विंध्य क्षेत्र के सूखाग्रस्त जिलों के लिये खर्च करने का काम किया गया था। लेकिन इनके विपरीत हमारी बहन मायावती जी के नेतृत्व में गठित प्रदेश की सरकार ने अब तक 412.65 करोड़ रुपये अपने वित्तीय संसाधनों से इस बुन्देलखण्ड और विंध्य क्षेत्र के सूखाग्रस्त जिलों में खर्च करने का काम किया है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन मायावती जी की यह चाहत थी कि बुन्देलखण्ड के किसानों को कर्जे से मुक्त किया जाये और इस हेतु 2797 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र की सरकार को भेजने का काम किया गया। लेकिन केन्द्र की सरकार ने भेदभाव की नीति को अपनाते हुए एक रुपया भी देने का काम नहीं किया। अभी माननीय वित्त मंत्री जी जब अपना बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि उस क्षेत्र के किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का काम इस बजट में किया गया है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)। मान्यवर, यह कहा जाता था कि जो कृषि निवेश अनुदान योजना है उसमें 5 रुपये, 6 रुपये और 7 रुपये के चेक वितरित हो रहे थे। लेकिन हमारी बहन मायावती जी की सरकार ने कृषि निवेश अनुदान की राशि को एक हजार रुपये प्रति कृषक करने का काम किया है।

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो सभी वर्गों के हितों के लिये काम करने हेतु संकल्पबद्ध है और कर रही है। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार में होता क्या था कि यहीं पर बैठकर 71 करोड़ रुपये में से 70 करोड़ रुपये एक ही जनपद और एक ही विधान सभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत हो जाते थे और हर तीन महीने बाद फिर स्वीकृत हो जाते थे। लेकिन हमारी सरकार सभी धर्म के लोगों, सभी क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए उनके विकास के काम कर रही है और इस दिशा में समान रूप से विकास का बजट आज प्रस्तुत करने का काम किया गया है। मान्यवर, मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जो केन्द्र सरकार में बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव का रवैया अपनाये हुए हैं तथा उत्तर प्रदेश के विकास के लिये विशेष पैकेज देने का काम नहीं कर रहे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के आज के इस बजट से एक सबक लेना चाहिए। मान्यवर, जो देश पर राज कर रहे हैं वह राज क्या कर रहे हैं जनता को छलने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अब सत्ता में बने रहने का ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे लोगों की विदाई का समय अब आ गया है। उनकी विदाई की आहट सुनाई पड़ने लगी है। मान्यवर, मुख्य मंत्री, बहन मायावती जी के नेतृत्व में गठित यह उत्तर प्रदेश की सरकार जिस

तरह की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रही है और जिस शानदार बजट के प्रस्तुतिकरण का काम किया गया है निश्चित रूप से वह समय आ गया है जब उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश की लोक सभा में भी बहन कुमारी मायावती जी बजट प्रस्तुत करने का काम करेंगी।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो इस विधान सभा को एक मेले के रूप में लेते आये हैं और जो कभी रेशमी रूमाल को लहराकर, कभी गुब्बारे उड़ाकर, बड़े होकर बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, वे जब अपने क्षेत्रों में जायेंगे तो वहां की जनता उनसे निश्चित रूप से हिसाब मांगने का काम करेगी। वह उनसे जरूर पूछेगी कि जब सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर मुख्य मंत्री जी 17 करोड़ लोगों के कल्याण के लिये कल्याणकारी योजनायें बना रही थीं तो आप लोग क्या कर रहे थे ? आप लोग क्यों बैठक से उठकर चले गये थे। क्या आपको मेले के दृश्य अन्य जगह देखने का अवसर नहीं मिलता है ? मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय श्री राम लाल अकेला जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)।

**वित्तीय वर्ष 2008-2009 के माह अप्रैल व मई, 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय हेतु लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव**

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2008-2009 के माह अप्रैल व मई, 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 12 फरवरी, 2008 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 1,58,30,23,03,000 (एक खरब, अट्ठावन अरब, तीस करोड़, तेइस लाख तीन हजार) रुपये से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बांट दी जायें।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2008-2009 के माह अप्रैल व मई, 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 12 फरवरी, 2008 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 1,58,30,23,03,000 (एक खरब, अट्ठावन अरब, तीस करोड़, तेइस लाख, तीन हजार) रुपये से अधिक न हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक**

**उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008**

01 अप्रैल, 2008 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था करने के लिये

**विधेयक**

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम — 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2008 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2008-2009 के लिए — 2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 01 अप्रैल, 2008 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा

21113,16,50,000 रुपये का दिया जाना

सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 21113,16,50,000 रुपये (इक्कीस हजार एक सौ तेरह करोड़, सोलह लाख, पचास हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया गया है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त कार्य वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।

## अनुसूची

(धारा-2 और 3 देखें)

| अनुदान/ क्रम-संख्या | सेवायें और प्रयोजन | | निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | राज्य की समेकित निधि पर भारित | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | आबकारी विभाग | राजस्व : | 83392 | 167 | 83559 |
| | | पूंजी : | 333 | -- | 333 |
| 2 | आवास विभाग | राजस्व : | 210031 | 12920 | 222951 |
| | | पूंजी : | 1008867 | 19938 | 1028805 |
| 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | राजस्व : | 134725 | 67 | 134792 |
| | | पूंजी : | 9317 | -- | 9317 |
| 4 | उद्योग विभाग (खानें और खनिज) | राजस्व : | 45351 | 1 | 45352 |
| | | पूंजी : | -- | -- | 0 |
| 5 | उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) | राजस्व : | 66513 | --- | 66513 |
| | | पूंजी : | -- | --- | 0 |
| 6 | उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) | राजस्व : | 74949 | --- | 74949 |
| | | पूंजी : | -- | --- | 0 |
| 7 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | राजस्व : | 311223 | --- | 311223 |
| | | पूंजी : | 266667 | --- | 266667 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | उद्योग विभाग (मुद्रण तथा | राजस्व : | 134114 | --- | 134114 |
| | लेखन-सामग्री) | पूंजी : | 14954 | --- | 14954 |
| 9 | ऊर्जा विभाग | राजस्व : | 3814500 | 42279 | 3856779 |
| | | पूंजी : | 12964107 | -- | 12964107 |
| 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग | राजस्व : | 269977 | 950 | 270927 |
| | (औद्यानिक एवं रेशम विकास) | पूंजी : | 5744 | -- | 5744 |
| 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग | राजस्व : | 3892100 | 202 | 3892302 |
| | (कृषि) | पूंजी : | 398559 | -- | 398559 |
| 12 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग | राजस्व : | 244152 | --- | 244152 |
| | (भूमि विकास एवं जल संसाधन) | पूंजी : | -- | --- | 0 |
| 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग | राजस्व : | 2368801 | 175 | 2368976 |
| | (ग्राम्य विकास) | पूंजी : | 1112986 | -- | 1112986 |
| 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग | राजस्व : | 1950004 | --- | 1950004 |
| | (पंचायती राज) | पूंजी : | 1052054 | --- | 1052054 |
| 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग | राजस्व : | 505949 | 230 | 506179 |
| | (पशुधन) | पूंजी : | 182071 | -- | 182071 |
| 16 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग | राजस्व : | 184666 | 3 | 184669 |
| | (दुग्धशाला विकास) | पूंजी : | 3333 | -- | 3333 |
| 17 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग | राजस्व : | 126232 | --- | 126232 |
| | (मत्स्य) | पूंजी : | -- | --- | 0 |
| 18 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग | राजस्व : | 237027 | 3100 | 240127 |
| | (सहकारिता) | पूंजी : | 53417 | 17117 | 70534 |
| 19 | कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा | राजस्व : | 11718 | --- | 11718 |
| | अन्य व्यय) | पूंजी : | -- | --- | 0 |
| 20 | कार्मिक विभाग (लोक सेवा | राजस्व : | 1901 | 24400 | 26301 |
| | आयोग) | पूंजी : | -- | 847 | 847 |
| 21 | खाद्य तथा रसद विभाग | राजस्व : | 236202 | 341683 | 577885 |
| | | पूंजी : | 10837703 | 2500008 | 13337711 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | खेल विभाग | राजस्व : | 43067 | 17 | 43084 |
| | | पूंजी : | 83342 | -- | 83342 |
| 23 | गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | राजस्व : | 154081 | 25 | 154106 |
| | | पूंजी : | 29167 | -- | 29167 |
| 24 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | राजस्व : | 107533 | --- | 107533 |
| | | पूंजी : | 50000 | --- | 50000 |
| 25 | गृह विभाग (कारागार) | राजस्व : | 284927 | 133 | 285060 |
| | | पूंजी : | 106838 | -- | 106838 |
| 26 | गृह विभाग (पुलिस) | राजस्व : | 6048066 | 1088 | 6049154 |
| | | पूंजी : | 485334 | -- | 485334 |
| 27 | गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) | राजस्व : | 400425 | --- | 400425 |
| | | पूंजी : | 16030 | --- | 16030 |
| 28 | गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) | राजस्व : | 141974 | --- | 141974 |
| | | पूंजी : | -- | --- | 0 |
| 29 | गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) | राजस्व : | --- | 7927 | 7927 |
| | | पूंजी : | --- | -- | 0 |
| 30 | गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) | राजस्व : | 3472 | --- | 3472 |
| | | पूंजी : | -- | --- | 0 |
| 31 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) | राजस्व : | 1372801 | --- | 1372801 |
| | | पूंजी : | 263189 | --- | 263189 |
| 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) | राजस्व : | 2902856 | 333 | 2903189 |
| | | पूंजी : | 722462 | -- | 722462 |
| 33 | चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) | राजस्व : | 405193 | --- | 405193 |
| | | पूंजी : | 14800 | --- | 14800 |
| 34 | चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) | राजस्व : | 192119 | -- | 192119 |
| | | पूंजी : | 26129 | -- | 26129 |
| 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | राजस्व : | 1359663 | 250 | 1359913 |
| | | पूंजी : | 291667 | -- | 291667 |

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | राजस्व : | 429677 | 17 | 429694 |
| | | पूंजी : | -- | -- | 0 |
| 37 | नगर विकास विभाग | राजस्व : | 3898010 | --- | 3898010 |
| | | पूंजी : | 333334 | --- | 333334 |
| 38 | नागरिक उड्डयन विभाग | राजस्व : | 25631 | --- | 25631 |
| | | पूंजी : | 98333 | --- | 98333 |
| 39 | भाषा विभाग | राजस्व : | 10826 | --- | 10826 |
| | | पूंजी : | -- | --- | 0 |
| 40 | नियोजन विभाग | राजस्व : | 157818 | --- | 157818 |
| | | पूंजी : | 99389 | --- | 99389 |
| 41 | निर्वाचन विभाग | राजस्व : | 109149 | --- | 109149 |
| | | पूंजी : | -- | --- | 0 |
| 42 | न्याय विभाग | राजस्व : | 890267 | 148311 | 1038578 |
| | | पूंजी : | 345826 | -- | 345826 |
| 43 | परिवहन विभाग | राजस्व : | 85082 | --- | 85082 |
| | | पूंजी : | 26856 | --- | 26856 |
| 44 | पर्यटन विभाग | राजस्व : | 25355 | --- | 25355 |
| | | पूंजी : | 112105 | --- | 112105 |
| 45 | पर्यावरण विभाग | राजस्व : | 147502 | --- | 147502 |
| | | पूंजी : | 134417 | --- | 134417 |
| 46 | प्रशासनिक सुधार विभाग | राजस्व : | 8505 | --- | 8505 |
| | | पूंजी : | -- | --- | 0 |
| 47 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | राजस्व : | 269900 | 17 | 269917 |
| | | पूंजी : | 60813 | -- | 60813 |
| 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | राजस्व : | 368582 | 34 | 368616 |
| | | पूंजी : | 45445 | -- | 45445 |
| 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | राजस्व : | 3379382 | 167 | 3379549 |
| | | पूंजी : | 100134 | -- | 100134 |
| 50 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | राजस्व : | 466558 | 267 | 466825 |
| | | पूंजी : | 276721 | -- | 276721 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) | राजस्व : | 1890780 | -- | 1890780 |
| | | पूंजी : | 166667 | -- | 166667 |
| 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) | राजस्व : | 1542797 | 763 | 1543560 |
| | | पूंजी : | 167 | 175 | 342 |
| 53 | राष्ट्रीय एकीकरण विभाग | राजस्व : | 2795 | --- | 2795 |
| | | पूंजी : | 17 | --- | 17 |
| 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | राजस्व : | 1194597 | 67 | 1194664 |
| | | पूंजी : | -- | -- | 0 |
| 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | राजस्व : | 51083 | 4365 | 55448 |
| | | पूंजी : | 77584 | 881 | 78465 |
| 56 | लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) | राजस्व : | 41667 | --- | 41667 |
| | | पूंजी : | 636667 | --- | 636667 |
| 57 | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) | राजस्व : | 18333 | --- | 18333 |
| | | पूंजी : | 958333 | --- | 958333 |
| 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) | राजस्व : | 3250496 | 83 | 3250579 |
| | | पूंजी : | 7190875 | 9167 | 7200042 |
| 59 | लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) | राजस्व : | 134268 | --- | 134268 |
| | | पूंजी : | 208705 | --- | 208705 |
| 60 | वन विभाग | राजस्व : | 411481 | 228 | 411709 |
| | | पूंजी : | 373981 | -- | 373981 |
| 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) | राजस्व : | 7974704 | 24042954 | 32017658 |
| | | पूंजी : | 406676 | 25421728 | 25828404 |
| 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) | राजस्व : | 8359561 | 4065 | 8363626 |
| | | पूंजी : | 83333 | --- | 83333 |
| 63 | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | राजस्व : | 144336 | 67 | 14403 |
| | | पूंजी : | 1872 | --- | 1872 |
| 65 | वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) | राजस्व : | 154331 | --- | 154331 |
| | | पूंजी : | 33 | --- | 33 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) | राजस्व : | 2514 | 210287 | 212801 |
| | | पूंजी : | --- | --- | 0 |
| 67 | विधान परिषद् सचिवालय | राजस्व : | 29453 | 756 | 30209 |
| | | पूंजी : | 500 | --- | 500 |
| 68 | विधान सभा सचिवालय | राजस्व : | 83102 | 950 | 84052 |
| | | पूंजी : | 200 | --- | 200 |
| 70 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | राजस्व : | 51571 | --- | 51571 |
| | | पूंजी : | --- | --- | 0 |
| 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | राजस्व : | 14926254 | --- | 14926254 |
| | | पूंजी : | 1643 | --- | 1643 |
| 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | राजस्व : | 5071023 | 45 | 5071068 |
| | | पूंजी : | 34250 | --- | 34250 |
| 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | राजस्व : | 1475269 | 1 | 1475270 |
| | | पूंजी : | 62500 | --- | 62500 |
| 75 | शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक | राजस्व : | 116420 | --- | 116420 |
| | अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) | पूंजी : | 2168 | --- | 2168 |
| 76 | श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | राजस्व : | 204397 | --- | 204397 |
| | | पूंजी : | --- | --- | 0 |
| 77 | श्रम विभाग (सेवायोजन) | राजस्व : | 180667 | --- | 180667 |
| | | पूंजी : | 26952 | --- | 26952 |
| 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | राजस्व : | 407008 | --- | 407008 |
| | | पूंजी : | 41364 | --- | 41364 |
| 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांग | राजस्व : | 1962020 | --- | 1962020 |
| | एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) | पूंजी : | 32269 | --- | 32269 |
| 80 | समाज कल्याण विभाग (समाज | राजस्व : | 3607576 | --- | 3607576 |
| | कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) | पूंजी : | --- | --- | 0 |
| 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति | राजस्व : | 48056 | 2 | 48058 |
| | कल्याण) | पूंजी : | 15729 | --- | 15729 |
| 82 | सतर्कता विभाग | राजस्व : | 29802 | 2419 | 32221 |
| | | पूंजी : | 13333 | --- | 13333 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) | राजस्व : | 6781610 | --- | 6781610 |
| | | पूंजी : | 4911387 | --- | 4911387 |
| 84 | सामान्य प्रशासन विभाग | राजस्व : | 1130 | --- | 1130 |
| | | पूंजी : | --- | --- | 0 |
| 85 | सार्वजनिक उद्यम विभाग | राजस्व : | 4036 | --- | 4036 |
| | | पूंजी : | --- | --- | 0 |
| 86 | सूचना विभाग | राजस्व : | 95033 | --- | 95033 |
| | | पूंजी : | 1667 | --- | 1667 |
| 87 | सैनिक कल्याण विभाग | राजस्व : | 39890 | 2 | 39892 |
| | | पूंजी : | 1433 | --- | 1433 |
| 88 | संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) | राजस्व : | 54835 | --- | 54835 |
| | | पूंजी : | --- | --- | 0 |
| 89 | संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) | राजस्व : | 428718 | 167 | 428885 |
| | | पूंजी : | 20833 | --- | 20833 |
| 90 | संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) | राजस्व : | 102069 | --- | 102069 |
| | | पूंजी : | --- | --- | 0 |
| 91 | संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) | राजस्व : | 135301 | 1 | 135302 |
| | | पूंजी : | 1667 | --- | 1667 |
| 92 | संस्कृति विभाग | राजस्व : | 31122 | 1 | 31123 |
| | | पूंजी : | 203367 | --- | 203367 |
| 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | राजस्व : | 1801674 | 833 | 1802507 |
| | | पूंजी : | 298486 | | 298486 |
| 96 | सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | राजस्व : | 3550735 | --- | 3550735 |
| | | पूंजी : | 5910740 | 6667 | 5917407 |
| | योग | राजस्व : | 104984462 | 24852819 | 129837281 |
| | | पूंजी : | 53317841 | 27976528 | 81294369 |
| | महायोग : | | 158302303 | 52829347 | 211131650 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 फरवरी, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना-श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति शासन की नीति के अनुरूप न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी दूसरी सूचना डॉ0 अनिल चौधरी की जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के डार्क घोषित विकास खण्डों में निःशुल्क बोरिंग, सामान्य नलकूप कनेक्शन योजना बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तीसरी सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में शासकीय आदेशों का अनुपालन न किये जाने से बी0पी0एल0 सूची का पुनर्सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। चौथी सूचना श्रीमती कृष्णा राज की जनपद लखीमपुर खीरी स्थित मोहम्मदी नगर पालिका अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु सब स्टेशनों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। पांचवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बासी नदी के कटान से प्रभावित ग्रामों के पुनर्वास के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। छठी सूचना श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। सातवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जनपद मेरठ में साहूकारों के लाइसेन्सों के नवीनीकरण हेतु नयी व्यवस्था शुरू किये जाने से व्यापारियों के हो रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। आठवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड-नौगढ़ तथा शिकारगंज क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। नवीं सूचना श्री लालजी यादव की जनपद सिद्धार्थनगर स्थित न्याय पंचायत भवांरी में पशु

चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। दसवीं सूचना श्री चौधरी धूराम लोधी की जनपद हमीरपुर में विधायक की संस्तुति के अनुसार अवशेष हैण्डपम्पों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2006-2007 में सदस्यों की संस्तुति पर 7.00 किमी0 मार्गों के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं। डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री लल्लू सिंह, श्री शम्भू चौधरी तथा श्री काशीराम।

**वर्ष 1962 में जनपद आजमगढ़ के शारदानहर के लिये अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा अभी तक न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली, 1958 ....

श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[ के नियम-51 के अन्तर्गत निम्न सूचना दी गयी है :-

प्रदेश सरकार द्वारा अपनी योजनाओं के लिये किसानों की भूमि का अधिग्रहण तो कर लिया है किन्तु भूमि का अधिग्रहण करने के बाद किसानों को उसका मुआवजा समय से नहीं दिया जाता है जिससे उनके सामने जहां भूमि के अधिग्रहीत हो जाने के बाद भूमि की कमी हो जाती है वहीं मुआवजा न मिलने से उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है।

वर्ष 1962 में जनपद आजमगढ़ में शारदा नहर निकालने के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी किन्तु अधिग्रहीत की गयी भूमि में से रानीपुर आदि क्षेत्रों के किसानों की भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। एक लम्बे अर्से के बाद भी किसानों की शारदा नहर के लिए अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा न दिये जाने से जहां किसानों में चिन्ता एवं रोष व्याप्त है, वहीं उनके परिजनों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। किसानों को तत्काल उनकी अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा तत्काल प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे प्रभावित किसानों को अधिग्रहीत की गयी भूमि का प्रतिफल मिल सके।

2-उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 05-12-07 के द्वारा प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई विभाग, लखनऊ से आख्या मांगी गई, जो निम्नवत् है :-

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड-23, आजमगढ़ के कार्यक्षेत्र में ग्राम रानीपुर रजमों पड़ता है जिसमें शिवराजपुर माइनर बेलवा माइनर तथा रानीपुर रजमों माइनर पड़ती है उक्त नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1982 से 1985 के मध्य किया गया था, जिसमें कुल 8.782 हेक्टेयर भू-रकबा लिया गया था। इस भूमि के प्रतिकर धनराशि रु0 147.98 लाख का भुगतान करने हेतु दरों का अनुमोदन अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-23, आजमगढ़ द्वारा जिलाधिकारी, आजमगढ़ के स्तर से करा लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

| नहर का नाम | रकबा | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| शिवराजपुर माइनर | 5.088 हेक्टेयर | रु0 11,00,88,555.31 |
| बेलवा माइनर | 0.914 हेक्टेयर | रु0 12,10,000.00 |
| रानी रजमो माइनर | 2.480 हेक्टेयर | रु0 35,00,000.00 |
| योग | 8.782 हेक्टेयर | रु0 147.98 लाख |

मण्डलायुक्त, आजमगढ़ से उपर्युक्त दरों पर अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

अतः भू-प्रतिकर के दर पर मण्डलायुक्त का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त धनावंटन का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग से प्राप्त कर उस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् कृषकों को भू-प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा। ]

**जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज में ए0पी0 तटबन्ध के किनारे बाढ़ की कटान से प्रभावित लोगों को कहीं अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, डा0 पी0 के0 राय, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 विधान सभा को नियम-51 के अन्तर्गत ....

श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[ दिनांक 04-12-2007 को यह सूचना दी गयी है कि जनपद-कुशीनगर तहसील तमकुही राज में ए0 पी0 तटबन्ध के किनारे बाढ़ की कटान से प्रभावित लोग वर्षों से बसे हुए हैं। जिन्हें सिंचाई विभाग द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इनके पास बसने के लिये अन्य कोई स्थान नहीं है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इन्हें अन्यत्र बसाने की व्यवस्था एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-कुशीनगर के तहसील तमकुही राज में अहिरौलादीन पिपराघाट तटबन्ध (ए0पी0 तटबन्ध) 17.115 कि0मी0 लम्बाई में निर्मित है। इस बांध पर कि0मी0 0.00 से 16.00 तक विभिन्न रीचों में अनेकों लोग तटबन्ध के दोनों ओर स्लोप में, बन्धें के दो पर तथा बांध के आस-पास राजकीय भूमि पर अवैध रूप से झोपड़ी डाल कर बसे हुये हैं तथा इसी बान्ध पर अन्य जीवन उपयोगी सामान एवं पशु इत्यादि को भी बांध कर रखते हैं। कुछ जगहों पर लकड़ी की छोटी-छोटी दुकानें भी खोल रखीं हैं। बांध के ऊपर लोगों के बस जाने के कारण बांध की समुचित निगरानी एवं मरम्मत किये जाने में कठिनाई होती है। लोगों के बांध पर आवासित हो जाने के कारण सामान्य आवागमन के साथ-साथ आपात स्थिति उत्पन्न होने पर निर्माण सामग्री ले जाने-लाने में भी कठिनाई होती है। बाढ़ खण्ड कुशीनगर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवैधानिक रूप से बांध पर बसे 633 लोगों को नोटिस दी जा चुकी है। जिसकी सूची उप जिलाधिकारी तमकुही राज को दे दी गयी है तथा राजकीय भूमि का सीमांकन बाउन्ड्री स्टोन लगाकर कर दिया गया है। इस राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये लोगों में लगभग 70 प्रतिशत लोग अन्यत्र चले गये हैं तथा शेष को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। ]

**जनपद गाजीपुर स्थित शारदा सहायक चतुर्थ खण्ड-23 एवं लालगंज रजबाहा माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री अमेरिका प्रधान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र सादात, जनपद गाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत रबी 1415 फसली में लालगंज राजवाहे से निकलने वाली ....

श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[ देवनाथपुर राजवाहा जिसकी कुल लम्बाई 15 कि0मी0 है, में टेल तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचा दिया गया है तथा लालगंज राजवाहा जिसकी कुल लम्बाई 71.00 कि0मी0 है, में भी टेल तक पानी पहुंचा दिया गया है।

राजवाहा टेकमा से निकलने वाली तरवां राजवाहा एवं टेकमा राजवाहा के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों रायपुर, बधाई, हरयूजपुर, बहोरी, हिसायपुर तथा भीमापार उचौरी आदि को पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचा कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। ]

**जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के मध्य सरयू नहर खण्ड-2,3,4,5 एवं सरयू ड्रेनेज नहर खण्ड-1 व 2 में कराये गये सफाई के कार्यों की जांच कराने एवं टेलों तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री राम बिशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री राम विशुन आजाद, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया है ....

श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[ कि प्रदेश के देवीपाटन मण्डल के जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के सरयू नहर खण्ड-द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं सरयू ड्रेनेज नहर खण्ड-प्रथम व द्वितीय तथा सरयू नहर खण्ड-नानपारा, बहराइच द्वारा कार्य सम्पादित होते हैं। इनके कुछ खण्डों के कार्यालय अन्य जनपदों में स्थापित हैं, जिस कारण सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा कराये गये कार्य एवं कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता मानक के विपरीत रहती है। चाहे वह नहर खुदाई का कार्य हो, या पक्का कार्य पुल एवं पुलिया या अप्रोच निर्धारित समय से कार्यों को पूरा विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है। कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष प्रभाव पड़ता है सम्बन्धित अभियन्ता एवं ठेकेदार निरंकुश होकर मनचाहा कार्य करते हैं और निर्धारित समय से योजनाओं का पूरा कार्य नहीं हो पाता है जिससे योजना की लागत बढ़ जाती है जिससे ठेकेदार मनचाहे ढंग से कार्य

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्पादित कर देते हैं जो शासन की नीति के विपरीत है जिससे प्रतीत होता है कि कार्य संतोषजनक एवं मानक के अनुसार नहीं है तथा शासकीय धन का दुरुपयोग सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2005 से 2007-08 में हो रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच होना आवश्यक है। विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में हो रहे कार्यों से अवगत नहीं कराया जा रहा है। शासन द्वारा जो धन खर्च किया जा रहा है अभी तक टेलों तक पानी न पहुंचने से क्षेत्रीय किसानों की उत्पादन में गिरावट आ रही है।

2-श्री राम विशुन आजाद, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई उक्त सूचना में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के सरयू नहर खण्ड द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, गोण्डा, सरयू ड्रेनेज नहर खण्ड-प्रथम व द्वितीय तथा सरयू नहर खण्ड-नानपारा द्वारा नहरों के निर्माण कार्य निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त सरयू नहर खण्ड-1, नानपारा, सरयू नहर खण्ड-5, बलरामपुर, सरयू नहर खण्ड-2, बांसी, सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती एवं सरयू ड्रेनेज खण्ड-2, बस्ती द्वारा भी उक्त विधान सभा क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

ऐसे खण्ड जिनके मुख्यालय जनपद गोण्डा से बाहर स्थापित हैं और उनके द्वारा जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में कार्य कराया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता जनपद गोण्डा में स्थापित खण्डों की भांति ही मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराने के लिए गुण नियंत्रण मण्डल, फैजाबाद के नियंत्रणाधीन गुण नियंत्रण खण्ड, गोण्डा एवं गुण नियंत्रण खण्ड, बस्ती कार्यशील हैं, जिनके द्वारा निर्माणाधीन सभी कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए सैम्पलिंग कराकर और प्रयोगशाला में परीक्षण कराकर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। उक्त के अतिरिक्त परियोजना के प्रत्येक खण्डों की वार्षिक टी0ए0सी0 जांच सामान्य प्रक्रिया के तहत संचालित होती है तथा उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। चूंकि सरयू परियोजना केन्द्र सरकार द्वारा ए0आई0बी0पी0 से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत वित्त पोषित है, अतः वर्ष में नियमित रूप से केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित कराने एवं मासिक अनुश्रवण के लिए वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ही खण्डवार/मण्डलवार/संगठनवार बार-चार्ट एवं कार्य योजना तैयार की जाती है, जिसके अन्तर्गत सभी अधिकारी कार्य योजना के अनुसार कार्यों का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन कराते हैं।

परियोजना का समय से पूर्ण न होने का मुख्य कारण वन भूमि का प्राप्त न होना, आपसी समझौते से नहर की खुदाई हेतु कृषकों से भूमि का प्राप्त न होना, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की लम्बी प्रक्रिया, रेलवे विभाग द्वारा रेलवे लाइन पर समय से पुलों का निर्माण न कराना तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का समय से पूर्ण न होना,

आदि हैं। परियोजना की लागत प्रत्येक वर्ष मूल्यसूचांक की वृद्धि के कारण ही बढ़ रही है। ठेकेदारों को भी अनुबन्ध में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य पूर्ण कराने के लिए बाध्य किया जाता है। कार्य निविदा प्रक्रिया के अनुसार ही सम्पादित कराये जा रहे हैं।

प्रत्येक माह जनपदों में विभिन्न स्तरों पर होने वाली बैठकों में परियोजना की कार्य प्रगति से अवगत कराया जाता है। परियोजना में रबी व खरीफ हेतु नहरों की टेलों तक पानी पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी, कृषि अधिकारी एवं परियोजना के अधिकारियों द्वारा रोस्टर तैयार किया जाता है, जिसकी प्रतियां मा0 जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम प्रधान तक को उपलब्ध करायी जाती है। चूंकि, सरयू नहर परियोजना निर्माणाधीन परियोजना है, जिसमें प्रस्तावित एवं निर्मित नहरों में गैप छूटे हुए हैं फिर भी कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जहां तक नहर लगातार लम्बाई में निर्मित है वहां तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। ]

**जनपद आजमगढ़ की नहरों में पानी न उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, शारदा सहायक संगठन के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड-32 की कुल 198 नहरें हैं, जिनकी कुल लम्बाई .....

श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[ 749.62 किमी0 है। इनमें से 33 नहरें सदर विधान सभा क्षेत्र की है, जिनकी कुल लम्बाई 145.25 किमी0 है। आजमगढ़ जनपद की उक्त सभी नहरें शारदा सहायक प्रणाली की अंतिम छोर की नहरें हैं। फलस्वरूप इस प्रणाली में पानी अन्त में पहुंचता है। इनमें से 24 नहरों में 2 बार तथा शेष 9 नहरों में एक बार पानी इस फसल में पहुंचाया जा चुका है। इस क्षेत्र की अधिकांशतः फसलें भी पिछैती प्रजाति की ली जाती हैं।

शारदा सहायक खण्ड-32 की नहरों में पानी की समुचित मात्रा में आपूर्ति हेतु 30 नवम्बर तक सिल्ट सफाई कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् शारदा सहायक प्रणाली की दरियाबाद शाखा में पानी दिनांक 01-12-07 से छोड़ा गया था जो बाराबंकी-फैजाबाद, अम्बेडकर नगर के

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्र से होते हुए आजमगढ़ जनपद में दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 के अन्त में पहुंचा था। जनपद में पड़ने वाले बड़े राजवाहे जिनसे विभिन्न अल्पिकायें निकलती हैं, जिनमें से निजामाबाद राजवाहा दिनांक 14-12-07 से चलित हुआ। इसी प्रकार दोहरीघाट लिंक चैनल, फूलपुर राजवाहा, आजमगढ़ राजवाहा में शीर्ष पर क्रमशः दिनांक 18-12-07, 15-12-07 एवं 16-12-07 को पानी आया। इन नहरों एवं इनकी अल्पिकाओं द्वारा पानी की आपूर्ति से काश्तकारों की पलेवा एवं बुवाई हेतु पानी की आपूर्ति कराई गई। अब तक आजमगढ़ की समस्त 198 नहरों की टेल तक पानी की आपूर्ति की जा चुकी है।

आजमगढ़ जनपद में 198 टेल के सापेक्ष 197 टेल फीडिंग का लक्ष्य रबी 1415 फसली में निर्धारित था, परन्तु दिनांक 4-2-08 तक 198 समस्त नहरों की टेल फीड करा दी गयी है। कृषकों के खेतों की सिंचाई समय-समय पर हो रही है। समस्त नहरों की टेलों पर पानी पहुंच रहा है तथा कृषकों के भुखमरी की कोई समस्या नहीं है। ]

**मथुरा-वृन्दावन की नगरपालिकाओं एवं गोवर्धन नगर पंचायत द्वारा आने वाले पर्यटकों से प्रवेश कर हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री प्रदीप माथुर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 में दी गयी सूचना जिसमें मथुरा, वृन्दावन की नगरपालिकाओं .....

श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[ एवं गोवर्धन नगर पंचायत द्वारा आने वाले पर्यटकों से प्रवेश कर लिए जाने के सम्बन्ध में एवं इसकी वसूली में अभद्रता किये जाने आदि का उल्लेख करते हुए उसे समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, के आधार पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 31 जुलाई, 1990 से नगरीय निकायों में चुंगी कर, पथकर और बीमा कर समाप्त कर दिया गया है। उक्त व्यवस्था समाप्त करने के उपरान्त शासनादेश संख्या-3586/नौ-9-2001-9ज/98, दिनांक 26 नवम्बर, 2001 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत उपविधि बनाकर निकाय

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीमा के अन्तर्गत आने वाले ऐसे वाहनों पर जो स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्थित स्टैण्ड या पार्किंग स्थलों पर ठहराव करते हों अथवा ऐसे वाहन पर जो निकाय सीमा अन्तर्गत सवारियों को उतारते अथवा चढ़ाते हों, वाहन प्रवेश/निगर्मन शुल्क लगा सकती है परन्तु ऐसे वाहन जो निकाय सीमा में प्रवेश करते हों और सीधे बिना रुके चले जाते हैं, उन्हें इस शुल्क से मुक्त किया गया है।

इस सम्बन्ध में नगरपालिका परिषद्, मथुरा एवं वृन्दावन द्वारा उपविधियां बनायी गयी जो विधिक दृष्टि से पोषणीय हैं। उक्त के आधार पर दोनों निकायों द्वारा प्रवेश शुल्क आरोपित किया जा रहा है किन्तु नगर पंचायत, गोवर्धन द्वारा वर्तमान में यह शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जिलाधिकारी, मथुरा को यह भी निर्देशित कर दिया गया है कि उपविधि की व्यवस्था के अनुसार ही वसूली की जाय ताकि कानून व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस प्रकार वाहनों पर प्रवेश शुल्क की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने का औचित्य नहीं बनता। ]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 1 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 12 फरवरी, 2008

**राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 20 विधान सभा (32)-05-05-2008-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।